रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2110] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2010/आश्विन 16, 1932
No. 2110] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2010/ASVINA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2470(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1.

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2010 है ।

(2) यह स्कीम, जैसा इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय 1 अगस्त, 2007 से प्रवृत हुई समझी जाएगी ।

(3) यह स्कीम, जैसा इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित है, उन अधिकारियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2007 को, या उसके पश्चात्, निगम या कंपनी की सेवा में थे :

परंतु ऐसे अधिकारी जिनके त्यागपत्र 1 अगस्त, 2007 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के दौरान स्वीकार किए जा चुके हैं या जिनकी सेवाएं इस दौरान समाप्त कर दी गई हैं, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के मद्दे बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), के पैरा 3 के खंड (यक) और (यख) में "ग्यारहवीं अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, तेरहवीं अनुसूची शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त स्कीम में, पैरा 4 के उपपैरा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(10) 1 अगस्त, 2007 से प्रत्येक अधिकारी के वेतन और भत्ते इस स्कीम से संलग्न तेरहवीं अनुसूची के अनुसार होंगे :

परंतु अधिकारी यह चयन कर सकेगा कि उसका मूल वेतन अनुसूची 13 के निबंधनानुसार किसी ऐसी तारीख से प्रभावी हो, जो 1 अगस्त, 2007 के पूर्व न हो और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् न हो । ऐसी दशा में वह ऐसे चयन की सूचना लिखित रूप में ऐसी अवधि के भीतर, यथास्थिति, निगम या कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक द्वारा विहित की जाएगी, निगम या कंपनी को देगा :

परंतु यह और कि ऐसे अधिकारी को चयन की गई ऐसी तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।"

4. उक्त स्कीम में, पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8क. कार्य अभिलेख संतोषप्रद पाए जाने के अधीन रहते हुए,--

(क) सोपान I के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् की सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में एक अतिरिक्त वृद्धि (जिसे 'वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि' कहा जाएगा) प्रदान की जाएगी किंतु ऐसी वेतनवृद्धियां अधिकतम तीन होंगी :

परंतु ऐसा अधिकारी, जिसे 31 जुलाई, 2007 तक ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार वेतनमान में एक वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उसका तेरहवीं अनुसूची के अनुसार संबद्ध वेतनमान में मूलवेतन तेरहवीं अनुसूची की मद 2 की सारणी ख के अनुसार वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अधिकारी को तृतीय वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, द्वितीय वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से दी जाएगी ;

(ख) सोपान II के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् की सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा अधिकतम पांच ऐसी वेतनवृद्धि के अधीन रहते हुए, ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य, मूलवेतन में एक अतिरिक्त वृद्धि (जिसे 'वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि' कहा जाएगा) प्रदान की जाएगी :

परंतु ऐसे अधिकारी, जिसे 31 जुलाई, 2007 तक ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार वेतनमान में एक या दो या तीन वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उसका तेरहवीं अनुसूची के अनुसार संगत वेतनमान में मूलवेतन तेरहवीं अनुसूची

की मद 2 की सारणी ख के अनुसार वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन और चार चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अधिकारी को पांचवीं वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, चौथी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से दी जाएगी ;

(ग) सोपान III के किसी अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् की सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूलवेतन में, अधिकतम दो ऐसी वेतनवृद्धि के अधीन रहते हुए, एक अतिरिक्त वृद्धि (जिसे 'वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि' कहा जाएगा) प्रदान की जाएगी :

परंतु ऐसे अधिकारी, जिसे 31 जुलाई, 2007 तक ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार वेतनमान में एक या दो वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उसका तेरहवीं अनुसूची के अनुसार संबद्ध वेतनमान में मूलवेतन तेरहवीं अनुसूची की मद 2 की सारणी ख के अनुसार वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक या दो चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

(घ) सोपान IV का ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया है, उसके वेतनमान द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य (जिसे 'वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि' कहा जाएगा) एक अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की जाएगी जो आगामी मास की प्रथम तारीख से तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हों, दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए 'सेवा' से ड्यूटी की अवधि अभिप्रेत है जिसमें असाधारण छुट्टी की अवधि या अवधियां सम्मिलित नहीं है ।"।

5. उक्त स्कीम में, पैरा 9 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ये भी है कि इस पैराग्राफ के उपबंध ऐसे अधिकारियों को लागू नहीं होंगे, यथास्थिति, जो निगम या कंपनी की सेवाएं 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् पदभार ग्रहण किया है और ऐसे अधिकारियों के संबंध में पैरा 9क के उपबंध लागू होंगे ।"

6. उक्त स्कीम में, पैरा 9 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उपपैरा (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खग) अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक से भिन्न अधिकारियों की दशा में तेरहवीं अनुसूची के अनुसार 1 अगस्त, 2007 से प्रारंभ अवधि है ।"

7. उक्त स्कीम में, पैरा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"9क. नई पेंशन स्कीम निधि :

यथास्थिति, 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा में पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारी साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 3 के टिप्पण 2 के निबंधनानुसार नई पेंशन स्कीम के अधीन होंगे जो मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की दर पर नई पेंशन स्कीम की निधि को प्रत्येक मास में अंशदान करेगा और यथास्थित, समान अंशदान निगम या कंपनी द्वारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए मूलवेतन और मंहगाई भत्ते अभिव्यक्त समय-समय पर संशोधित इस स्कीम के निबंधनानुसार उन अधिकारियों के वेतनमान और भत्तों के संदर्भ में परिकलित किए जाएंगे ।"

8. उक्त स्कीम में, अनुसूची 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"तेरहवीं अनुसूची

[पैरा 3, खंड (यक) और (यख) और पैरा 4, उप-पैरा (10) देखें]

I. वेतनमान (मूल वेतन) :

(1) सोपान VII
Rs.52210-1400(2)-55010-1500(1)-56510-1640(1)-58150-1700(1)-59850

(2) सोपान VI
Rs.46610-1400(5)-53610

(3) सोपान V
Rs.41660-1200(3)-45260-1350(2)-47960

(4) सोपान IV
Rs.34460-1200(7)-42860

(5) सोपान III
Rs.28160-840(1)-29000-910(6)-34460-1200(4)-39260

(6) सोपान II
Rs.23120-840(7)-29000-910(6)-34460

(7) सोपान I
Rs.17240-840(14)-29000-910(4)-32640

II. मूलवेतन और वृद्धिरुद्ध चरणों का नियतन

सारणी - क
मूलवेतन का नियतन

(रुपए अंकों में)

सोपान I		सोपान II		सोपान III		सोपान IV		सोपान V		सोपान VI		सोपान VII	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
11110	17240	14890	23120	18130	28160	22030	34460	25930	41660	28605	46610	31745	52210
11650	18080	15430	23960	18670	29000	22680	35660	26580	42860	29390	48010	32530	53610
12190	18920	15970	24800	19230	29910	23330	36860	27230	44060	30175	49410	33315	55010
12730	19760	16510	25640	19790	30820	23980	38060	27880	45260	30960	50810	34165	56510
13270	20600	17050	26480	20350	31730	24630	39260	28605	46610	31745	52210	35105	58150
13810	21440	17590	27320	20910	32640	25280	40460	29330	47960	32530	53610	36100	59850
14350	22280	18130	28160	21470	33550	25930	41660						
14890	23120	18670	29000	22030	34460	26580	42860						
15430	23960	19230	29910	22680	35660								
15970	24800	19790	30820	23330	36860								
16510	25640	20350	31730	23980	38060								
17050	26480	20910	32640	24630	39260								
17590	27320	21470	33550										
18130	28160	22030	34460										
18670	29000												
19230	29910												
19790	30820												
20350	31730												
20910	32640												

सारणी - क
(पैरा 8क देखिए)
मूलवेतन का नियतन

(रुपए अंकों में)

सोपान I		सोपान II		सोपान III	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
21470	33550	22590	35370	25280	40460
22030	34460	23150	36280	25930	41660
		23710	37190		
		24270	38100		

टिप्पण : उपर्युक्त सारणियों में 'विद्यमान मूल वेतन' से ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार यथालागू मूल वेतन अभिप्रेत हैं ।

III. मंहगाई भत्ता :

(1) अधिकारियों के लिए लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा :-

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक ।

आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक संख्यांक 2944

मंहगाई भत्ते की दर : 2944 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए मंहगाई भत्ते की संगणना मूल वेतन के 0.15 प्रतिशत कीदर से की जाएगी ।

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण : मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण, त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा ।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक में 2944 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 2944-2948-2952-2956 इत्यादि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होनी है तो मंहगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा । नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक है तो संदेय ऊपर मंहगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय मंहगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है ।

(3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें से जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में यथाप्रकाशित अंतिम सूचकांक, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा ।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, केवल तिमाही की समाप्ति के आगामी दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा ।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजनों के लिए "तिमाही" मद से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।

IV. मकान किराया भत्ता :

(1) 1 अगस्त, 2007 से अधिकारियों को संदेय मकान किराया भत्ता नीचे सारणी में यथादर्शित होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	प्रतिमास दर
1.	मुंबई, नवी मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम

	दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव	3200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	क्रम सं. 1 में वर्णित शहरों को छोड़कर, 12 से जनसंख्या वाले शहर, गांधी नगर, गोवा राज्य के सभी शहरे	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	अन्य सभी स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी ।

(3) "वेतन" से मूलवेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) ऐसे अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा निवास स्थान आबंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे इस मद की उपमद (1) के निबंधनों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

V. नगर प्रतिकर भत्ता :

(1) 1 अगस्त, 2007 से अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे दर्शायी गई सारणी के अनुसार होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	दर
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव	वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	क्रम सं. 1 में वर्णित शहरों को छोड़कर, 12 से जनसंख्या वाले शहर, गांधी नगर, गोवा	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 760 रुपए प्रतिमास के अधीन

	राज्य के सभी शहरे	रहते हुए
3.	अन्य सभी स्थान	वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 590 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी ।

(3) "वेतन" से मूलवेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता :

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के अनुगामी मास की पहली तारीख से अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे दर्शायी गई सारणी के अनुसार होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर) (1)	दर (2)
1	1500 मीटर और अधिक	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 460 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2	1,000 मीटर से अधिक किंतु 1,500 मीटर मर्करा और ऐसे स्थान जिन्हें केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पर्वतीय स्थान घोषित किया गया है	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3	750 मीटर से कम नहीं और 1000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे और केवल उनके माध्यम से पहुंचे जा सकने वाले स्थान	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : "वेतन" से मूलवेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

VII. किट भत्ता :

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के अनुगामी मास की पहली तारीख से प्रत्येक अधिकारी को, किसी ऐसे पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, जो इस अनुसूची की मद **VI** के निबंधानुसार 4000 रुपए किए भत्ते का संदाय किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसे अधिकारी ने ऐसा भत्ता पहले किसी भी समय लिया है, तो उसे किट भत्ते का संदाय नहीं किया जाएगा ।

VIII. नियत वैयक्तिक भत्ता :

1 अगस्त, 2007 से प्रभावी, नियत वैयक्तिक भत्ता अधिकारियों को नीचे दर्शायी गई सारणी के स्तंभ (3) के अनुसार संदेय होगा :-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का 1.11.1993 को वेतनमान	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ.पी.ए.)	आठवीं अनुसूची के मद VIII के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि वाला भाग	1.11.1993 को आठवीं अनुसूची के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि वाले भाग पर मंहगाई भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	सोपान VII	1700	400	10.08
2.	सोपान VI	1400	300	7.56
3.	सोपान V	1350	250	6.30
4.	सोपान IV	1200	250	6.30
5.	सोपान III	1200	250	6.30
6.	सोपान II	910	230	5.80
7.	सोपान I	910	230	5.80

टिप्पण : ऊपर दिए स्तंभ (3) में दिखाया गया पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ.पी.ए.) किसी भी भत्ते या किसी भी सेवा या सेवानिवृत्ति फायदे के लिए अर्जित नहीं होगा । तथापि, आठवीं अनुसूची के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतन वृद्धि वाला भाग जो ऊपर दिए स्तंभ (4) में दिखाया गया है भविष्य निधि और पेंशन के लिए वेतन में लिया जाएगा और इस वेतन वृद्धि भाग को, उरा पर स्तंभ (5) में दर्शाए 1.11.1993 को मंहगाई भत्ता सहित, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए वेतन में लिया जाएगा ।

IX. परिवहन भत्ता :

ग्यारहवीं अनुसूची की मद **IX** के अनुसार अधिकारियों को पांच सौ रुपए प्रतिमास की दर से संदेय सवारी भत्ता, 1 अगस्त, 2007 से आठ सौ रुपए प्रतिमास की पुनरीक्षित दर से

संदेय होगा ।

5. पारादीप पत्तन भत्ता :

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से कंपनी के पारादीप पोर्ट कार्यालय में तैनात प्रत्येक पुष्ट अधिकारी को जब तक वह उस कार्यालय में तैनात रहता है तब तक की अवधि के लिए एक सौ दस रुपए प्रतिमास भत्ते के रूप में संदेय होंगे । यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा ।" ।

[फा. सं. एस-11012/07/2010-बीमा I(i)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (इंश्योरेंस और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से निगम और कंपनियों के अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन दे दिया है । तद्नुसार, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का संशोधन किया गया है ।

2. 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में संशोधन करने के परिणामस्वरूप साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975, तद्नुसार संशोधन 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी होगी ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से निगम या कंपनियों के किसी भी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का.आ. 521(अ), तारीख 17 सितंबर, 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 672(अ), तारीख 21.11.1975, का.आ. 389(अ), तारीख 1.6.1976, का.आ. 2445(अ), तारीख 30.7.1977, का.आ. 1047(अ), तारीख 29.3.1978, का.आ. 2110(अ), तारीख 14.6.1978, का.आ. 3428(अ), तारीख 16.11.1978, का.आ. 5(अ), तारीख 20.12.1978, का.आ. 770(अ), तारीख 15.10.1985, का.आ. 883(अ), तारीख 9.12.1985, का.आ. 442(अ), तारीख 27.04.1987, का.आ. 138(अ), तारीख 29.1.1988, का.आ. 782(अ), तारीख 22.8.1988, का.आ. 572(अ), तारीख 25.7.1989, का.आ. 751(अ), तारीख 1.10.1990. का.आ. 200(अ), तारीख 10.3.1992, का.आ. 81(अ), तारीख 2.2.1994, का.आ. 592(अ), तारीख 30.6.1995, का.आ. 521(अ), तारीख 18.7.1996, का.आ. 108(अ), तारीख 14.2.1997, का.आ. 168(अ), तारीख 5.3.1998, का.आ. 729(अ), तारीख 27.8.1998, का.आ. 695(अ), तारीख 30.8.1999, का.आ. 587(अ), तारीख 22.6.2000, का.आ. [illegible], तारीख 14.08.2001, का.आ. 1027(अ), तारीख 22.9.2004, का.आ. 634(अ), तारीख 4.5.2005, का.आ. 1792(अ), तारीख 21.12.2005 और का.आ. 2742(अ), तारीख 26.11.2008 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2470(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2010.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007.

(3) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be applicable to those Officers who were in the service of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August 2007:

Provided that the officers, whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2007 and the date of publication of this Scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this Scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as "the said Scheme"), in paragraph 3, in clauses (na) and (nb), for the words "Eleventh Schedule", the words "Thirteenth Schedule" shall be substituted.

3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (9), the following sub-paragraph shall be inserted, namely : -

"(10) With effect from the 1st day of August, 2007, the pay and allowances of every officer shall be in accordance with the Thirteenth Schedule appended to this Scheme:

Provided that the officer may choose that his basic pay may be fixed in terms of the Thirteenth Schedule with effect from any date not earlier than the 1st day of August, 2007 and not later than the date of publication of this Scheme, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within such period as may be prescribed by the Chairman-cum-Managing Director of the Corporation or Company, as the case may be:

Provided further that no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.".

4. In the said Scheme, for paragraph 8A, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"8A. Subject to the work record being found satisfactory, -

(a) an officer in Scale I, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment (called 'Stagnation Increment') equal to the last increment drawn by him in the scale of pay subject to a maximum of three such increments:

Provided that an officer, who has already been granted, as on the 31st day of July, 2007, one or two Stagnation Increment(s) in the scale of pay as per the Eleventh Schedule, his basic pay in the relevant scale of pay as per the Thirteenth Schedule shall be fixed at the corresponding one or two stage(s) above the maximum of the scale of pay as per Table B, in Item II of the Thirteenth Schedule:

Provided further that the **third** Stagnation Increment shall be granted to an officer, after the completion of three years from the date of receipt of second Stagnation Increment or, from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later;

(b) an officer in Scale II, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment (called 'Stagnation Increment') equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to a maximum of **five** such increments:

Provided that an officer, who has already been granted, as on the 31st day of July, 2007, one, two, three or four Stagnation Increment or Increments in the scale of pay as per the Eleventh Schedule, his basic pay in the relevant scale of pay as per the Thirteenth Schedule shall be fixed at the corresponding one, two, three or four stage or stages above the maximum of the scale of pay as per Table B, in Item II of the Thirteenth Schedule:

Provided further that the **fifth** Stagnation Increment shall be granted to an officer, after the completion of three years from the date of receipt of the fourth stagnation increment or, from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme , whichever is later;

(c) an officer in Scale III, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment (called 'Stagnation Increment') equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of **two** such increments:

Provided that an officer, who has already been granted, as on the 31st day of July, 2007, one or two Stagnation Increment or Increments in the scale of pay as per the Eleventh Schedule, his basic pay in the relevant scale of pay as per the Thirteenth Schedule shall be fixed at the corresponding one or two stage or stages above the maximum of the scale of pay as per Table B, in Item II of the Thirteenth Schedule:

(d) an officer in Scale IV, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted an additional increment (called 'Stagnation Increment') equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, from the 1st day of the month following completion of three years service after reaching such maximum or 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later;

Explanation: For the purpose of this paragraph, 'service' means the period of duty excluding period or periods of extraordinary leave.".

5. In the said Scheme, in paragraph 9, after the second proviso, and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the provisions of this paragraph shall not apply to Officers who joined the service of the Corporation or the Company, as the case may be, on or after the 1st day of January, 2004 and in respect of such Officers, the provisions of paragraph 9A shall apply.".

6. In the said Scheme, in paragraph 9, in the Explanation, in clause (iii), after sub-clause (bb), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(bc). In the case of officers other than the Chairman-cum-Managing Director, for the period commencing on the 1st day of August, 2007, as per Thirteenth Schedule.".

7. In the said Scheme, after paragraph 9, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"9A New Pension Scheme Fund:

Officers joining the service of the Corporation or the Company, as the case may be, on or after the 1st day of January, 2004, and accordingly covered under the New Pension Scheme, in terms of Note (2) of paragraph 3 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 shall contribute every month, to the Fund for the New Pension Scheme, at the rate of 10% of the Basic Pay plus Dearness Allowance, and equal contribution shall be made by the Corporation or the Company, as the case may be.

Explanation: For the purposes of this paragraph, the expression 'Basic Pay plus Dearness Allowance' shall be computed with reference to the Scale of Pay and Allowances applicable to the Officer in terms of this Scheme, as amended from time to time.".

8. In the said Scheme, after the Twelfth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"THIRTEENTH SCHEDULE

[See paragraph 3, clauses (na) and (nb) and paragraph 4, sub-paragraph (10)]

I. Pay Scales (Basic Pay) :

(1) Scale VII
Rs.52210-1400(2)-55010-1500(1)-56510-1640(1)-58150-1700(1)-59850

(2) Scale VI
Rs.46610-1400(5)-53610

(3) Scale V
Rs.41660-1200(3)-45260-1350(2)-47960

(4) Scale IV
Rs.34460-1200(7)-42860

(5) Scale III
Rs.28160-840(1)-29000-910(6)-34460-1200(4)-39260

(6) Scale II
Rs.23120-840(7)-29000-910(6)-34460

(7) Scale I
Rs.17240-840(14)-29000-910(4)-32640

II. Fixation of the Basic Pay and Stagnation Stages:

TABLE - A
Fixation of the Basic Pay

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III		Scale IV		Scale V		Scale VI		Scale VII	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
11110	17240	14890	23120	18130	28160	22030	34460	25930	41660	28605	46610	31745	52210
11650	18080	15430	23960	18670	29000	22680	35660	26580	42860	29390	48010	32530	53610
12190	18920	15970	24800	19230	29910	23330	36860	27230	44060	30175	49410	33315	55010
12730	19760	16510	25640	19790	30820	23980	38060	27880	45260	30960	50810	34165	56510
13270	20600	17050	26480	20350	31730	24630	39260	28605	46610	31745	52210	35105	58150
13810	21440	17590	27320	20910	32640	25280	40460	29330	47960	32530	53610	36100	59850
14350	22280	18130	28160	21470	33550	25930	41660						
14890	23120	18670	29000	22030	34460	26580	42860						
15430	23960	19230	29910	22680	35660								
15970	24800	19790	30820	23330	36860								
16510	25640	20350	31730	23980	38060								
17050	26480	20910	32640	24630	39260								
17590	27320	21470	33550										
18130	28160	22030	34460										
18670	29000												
19230	29910												
19790	30820												
20350	31730												
20910	32640												

TABLE – B
[see Paragraph 8A]
Fixation of Basic Pay – Stagnation Stages

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
21470	33550	22590	35370	25280	40460
22030	34460	23150	36280	25930	41660
		23710	37190		
		24270	38100		

Note: The term 'Existing Basic Pay' in the above tables shall mean the basic pay as applicable in accordance with the Eleventh Schedule.

III. Dearness Allowance:

(1) The scale of dearness allowance applicable to the officers shall be determined as under: -

Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers
Base : Index No.2944 in the series 1960 = 100
Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 2944 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of Basic Pay.
Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 2944 points in the sequence 2944-2948-2952-2956 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation - For the purposes of this item, 'quarter' shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance:

(1) With effect from the 1st day of August, 2007, the House Rent Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below:

Table

Sl. No.	Place of posting (1)	Rate per month (2)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay subject to maximum of Rs.3,200/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	8% of pay subject to maximum of Rs.2,700/- per month
3.	All other places	7% of pay subject to maximum of Rs.2,600/- per month

Note: (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.

(3) 'Pay' means Basic Pay and Stagnation Increments as per paragraph 8A.

(2) Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation, appropriate licence fee as may be decided by the Corporation or the Company, as the case may be, from time to time and shall not be entitled to House Rent Allowance in terms of sub-item (1) of this item.

V. City Compensatory Allowance:

With effect from the 1st day of August, 2007, the City Compensatory Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below :-

Table

Sl. No.	Place of posting (1)	Rate (2)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	3% of pay subject to a maximum of Rs.800/- per month

2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.760/- per month
3.	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to a maximum of Rs.590/- per month

Note: (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.
(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
(3) 'Pay' means Basic Pay and Stagnation increments as per paragraph 8A.

VI. Hill Station Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, Hill Station Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below :-

Table

Sl. No.	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level) (1)	Rate (2)
1.	1500 meters and over	2.5% of Pay subject to maximum of Rs.460/- per month
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central or State Governments for their employees	2% of Pay subject to maximum of Rs.370/- per month
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over	2% of Pay subject to a maximum of Rs.370/- per month

Note: 'Pay' means Basic Pay and Stagnation increments as per paragraph 8A.

VII. Kit Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, every officer on his transfer to any of the hill stations at which hill station allowance is payable in terms of item VI of this Schedule, shall be paid a Kit Allowance of Rs.4,000/- :
Provided that no Kit Allowance shall be payable if such officer has drawn such allowance at any time earlier.

VIII. Fixed Personal Allowance :

With effect from the 1st day of August, 2007, the Fixed Personal Allowance payable to officers shall be as shown in column (3) of the Table given below:-

Sl No.	Officers in the scale of pay of, as on 1.11.1993	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)	Increment Portion of Fixed Personal Allowance as per Item VIII of the Eighth Schedule	Dearness Allowance on Increment Portion of Fixed Personal Allowance as per Eighth Schedule as on 01-11-1993
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Scale VII	1700	400	10.08
2.	Scale VI	1400	300	7.56
3.	Scale V	1350	250	6.30
4.	Scale IV	1200	250	6.30
5.	Scale III	1200	250	6.30
6.	Scale II	910	230	5.80
7.	Scale I	910	230	5.80

Note: The revised Fixed Personal Allowance (FPA) as shown in column (3) above shall not qualify for any allowance or for any service or terminal benefits. However, the Increment Portion of FPA as per the Eighth Schedule as shown in column (4) above shall rank for Provident Fund and Pension, and the said Increment Portion along with Dearness Allowance thereon as on the 1st November, 1993 as shown in column (5) above shall rank for Gratuity and Encashment of Earned Leave.

IX. Transport Allowance:

With effect from the 1st day of August, 2007, the Transport Allowance payable to officers at the rate of Rupees Five Hundred per month as per Item IX of the Eleventh Schedule shall stand revised to Rupees Eight Hundred per month.

X. Paradeep Port Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme or the date of appointment, whichever is later, every confirmed officer posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rupees One Hundred and Ten per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.".

[F. No. S-11012/07/2010-Ins. I(i)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Pension)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of service of Officers in the Corporation and Companies with effect from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers), Scheme, 1975 is amended accordingly with effect from the dates as specified in the notification.

2. Consequent upon the amendment in the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 in respect of officers joining on or after the 1st day of January, 2004, the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is amended accordingly with effect from the 1st day of January, 2004.

3. It is certified that no officer of the Corporation or Company is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE: - The Principal Scheme was published vide notification No.S.O.521 (E) dated the 17.09.1975 and subsequently amended by notification No. S.O. 672(E) dated 21.11.1975, S.O. 389(E) dated 1.6.1976, S.O. 2445 dated 30.7.1977, S.O. 1047 dated 29.3.1978, S.O. 2110 dated 14.6.1978, S.O. 3428 dated 16.11.1978, S.O. 5 dated 20.12.1978, S.O. 770(E) dated 15.10.1985, S.O. 883(E) dated 9.12.1985, S.O. 442(E) dated 27.4.1987, S.O. 138(E) dated 29.1.1988, S.O. 782(E) dated 22.8.1988, S.O. 572(E) dated 25.7.1989, S.O. 751(E) dated 1.10.1990, S.O. 200(E) dated 10.3.1992, S.O. 81(E) dated 2.2.1994, S.O. 592(E) dated 30.06.1995, S.O. 521(E) dated 18.07.1996, S.O. 108 (E) dated 14.02.1997, S.O. 168(E) dated 5.3.1998, S.O. 729(E) dated 27.8.1998. S.O. 695(E) dated 30.08.1999, S.O. 587(E) dated 22.6.2000., S.O. 781 (E) dated 14.8.2001, S.O. 1027(E) dated 22.9.2004, S.O. 634(E) dated 4.5.2005, S.O. 1792(E) dated 21.12.2005 and S.O. (E) 2742 dated 26.11.2008

***

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2471(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2010 है ।

(2) इस स्कीम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह स्कीम 1 अगस्त, 2007 को प्रवृत हुई समझी जाएगी ।

(3) इस स्कीम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों को लागू होगी, जो 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् कंपनी के विकास अधिकारी काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी थे :

परंतु ऐसा विकास अधिकारी, जिसका 1 अगस्त, 2007 से, इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होगा ।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 के खंड (2) में, "अनुसूची छ" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "अनुसूची ज" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 3 में,—

(क) खंड (16) के उपखंड (घ) और उपखंड (ङ) का, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (17) के उपखंड (ग) की मद (iv) में, "1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (17) के उपखंड (ग) की मद (iv) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"(v) 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निष्पादन वर्ष के लिए लागत अनुपात के संबंध में, नीचे दी गई सारणी घ के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपगत अनुपात लागू होगा :--

सारणी -- घ

निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे विकास अधिकारी	लागत अनुपात
(1)	(2)
(क) 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर	7%
(ख) 10 लाख और उससे ऊपर, किंतु 25 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर	8%
(ग) अन्य केंद्र	10% :

परंतु 01-04-2010 से 31-03-2011 निष्पादन वर्ष के लिए, सारणी घ में विनिर्दिष्ट लागत अनुपात की अनुबद्ध सीमा में एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि कठिन क्षेत्र में तैनात विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ऐसे क्षेत्र से प्रोद्भूत प्रीमियम की रकम और संरचना को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सारणी-घ में विनिर्दिष्ट लागत अनुपात की अनुबद्ध सीमा में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुदत्त कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि लागत अनुपात की अनुबद्ध सीमा को पचपन वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने वाले और न्यूनतम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरा करने वाले विकास अधिकारी की बाबत एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण 1 -- 'जनसंख्या' से भारत सरकार की अद्यतन जनगणना रिपोर्ट से अभिनिश्चित उसकी नगरपालिकीय सीमाओं के भीतर किसी नगर की जनसंख्या अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2 -- 'कठिन क्षेत्र' से उस क्षेत्र में कारबार प्राप्त करने में आने वाली विशेष कठिनाइयों के संबंध में कंपनी द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ।"।

4. उक्त स्कीम के पैरा 7क, पैरा 7ख और पैरा 7ग के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"**7क. वेतनमान, नियतन की पद्धति और बकायों का संदाय**--(1) 1 अगस्त, 2007 से ही, प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन और भत्ते अनुसूची ज के अनुसार होंगे ।

(2) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी का, जो 1 अगस्त, 2007 को सेवा में था या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था, मूल वेतन, 1 अगस्त, 2007 से या नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुसूची-ज की मद 2 के अनुसार नियत किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची ज की मद 2 के अनुसार नियत किया गया है, 1 अप्रैल, 2008 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से ही, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची - छ के अधीन संदेय सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ते और अनुसूची - ज के अधीन संदत्त की गई राशि का अंतर, भविष्य निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय को काटने के पश्चात्, संदत्त किया जाएगा ।

7ख. **साम्यापूर्ण सहायता** -- पैरा 7क में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विकास अधिकारी को, जो 1 अगस्त, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के दौरान किसी समय सेवा में था, ऐसी सेवा की अवधि के लिए साम्यापूर्ण सहायता का संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यापूर्ण सहायता" पद से, यथास्थिति, अनुग्रहपूर्वक संदाय, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के पारिणामिक समायोजन सहित क्रमशः अनुसूची - ज और अनुसूची - छ के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के योग के बीच का अंतर अभिप्रेत है ।

7ग. **बकाया और साम्यापूर्ण सहायता का खर्च में समामेलन** -- पैरा 7क और पैरा 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यापूर्ण सहायता को खर्च की अनुज्ञेय सीमाओं के अधीन रहते हुए, संबंधित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे वे संबंधित हैं, विकास अधिकारी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को निष्पादन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उनकी लागत में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा, जिसका वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के 90 दिन के भीतर चयन करे ।"।

उक्त स्कीम के पैरा 13 में,--

(क) उपपैरा (3) में, "पुनरीक्षित वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "पैरा 7क के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपपैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(4) ऐसे विकास अधिकारी को, उससे भिन्न जो पैरा 11क के उपपैरा (3) के अधीन फायदे प्रदान करने के लिए अर्हित है, जो विकास अधिकारी, श्रेणी-2 को लागू पैरा 7क के अनुसार वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि वह,--

(क) पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष में उक्त स्कीम के पैरा 11, पैरा 11क और पैरा 13 के अधीन अनुबंधित खर्च अनुपात को पूरा करता है ;

(ख) सामान्य श्रेणी वेतनवृद्धि लेने के लिए अन्यथा पात्र है ; और

(ग) उसका कार्य अभिलेख समाधानप्रद पाया जाता है,

ऐसी अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् निरंतर सेवा के प्रत्येक तीन संपूरित वर्षों के लिए उसके द्वारा उक्त वेतनमान में ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, अधिकतम तीन ऐसी वेतनवृद्धियों के अधीन रहते हुए, मंजूर की जा सकेगी । ऐसी वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी, इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत वेतनमान 4 की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी होगा :

परंतु ऐसी पहली वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्वर्ती महीने के पहले दिन से मंजूर की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "निरंतर सेवा" से असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़कर कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है"।

6. उक्त स्कीम के पैरा 16 में,--

(क) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और भी कि इस पैरा के उपबंध ऐसे विकास अधिकारी को लागू नहीं होंगे, जिसने 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् कंपनी की सेवा ग्रहण की है और ऐसे विकास अधिकारियों की बाबत, पैरा 16क के उपबंध लागू होंगे ।";

(ख) स्पष्टीकरण की मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(v) 1 जनवरी, 2007 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची 'ज' के अनुसार ।"।

7. उक्त स्कीम के पैरा 16 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"16क. नई पेंशन स्कीम निधि :

1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् कंपनी की सेवा ग्रहण करने वाला, और तदनुसार साधारण बीमा (कर्मचारिवृंद) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 3 के टिप्पण (2) के अनुसार नई पेंशन स्कीम के तहत आने वाला, विकास अधिकारी प्रति मास मूल वेतन धन मंहगाई भत्ते के 10% की दर से नई पेंशन स्कीम के लिए निधि में अभिदाय करेगा, और कंपनी द्वारा भी समान अभिदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "मूल वेतन धन मंहगाई भत्ता" अभिव्यक्ति की संगणना समय-समय पर यथासंशोधित इस स्कीम के निबंधनों के अनुसार विकास अधिकारी को लागू वेतनमान और भत्तों के प्रति निर्देश से की जाएगी ।"।

8. उक्त स्कीम के पैरा 21क में,--

(क) उपपैरा (2) के स्पष्टीकरण में, "पैरा 13 का उपपैरा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "पैरा 13 का उपपैरा (3) और उपपैरा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपपैरा (3) के खंड (क) की मद (ii) में, "दो हजार पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त स्कीम की अनुसूची छ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"अनुसूची ज

[पैरा 3, 7क, 7ख, 11, 11क, 13, 15ख, 16 और 17 देखिए]

I. वेतनमान (मूल वेतन),--

1. **विकास अधिकारी श्रेणी 1** : 12175-755(8)-18215-780(9)-25235-820(2)-26875-840(4)-30235

2. **विकास अधिकारी श्रेणी 2** : 8280-540(3)-9900-615(4)-12360 रुपए

II. क. मूल वेतन का नियतन (वेतनमान में),--

प्रक्रम सं0	विकास अधिकारी श्रेणी 1		विकास अधिकारी श्रेणी 2	
	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7850	12175	5400	8280
2.	8335	12930	5750	8820
3.	8820	13685	6100	9360
4.	9305	14440	6450	9900
5.	9790	15195	6850	10515
6.	10275	15950	7250	11130
7.	10760	16705	7650	11745
8.	11245	17460	8050	12360
9.	11730	18215		
10.	12230	18995		

11.	12730	19775		
12.	13230	20555		
13.	13730	21335		
14.	14230	22115		
15.	14730	22895		
16.	15230	23675		
17.	15730	24455		
18.	16230	25235		
19.	16755	26055		
20.	17280	26875		
21.	17820	27715		
22.	18360	28555		
23.	18900	29395		
24.	19440	30235		

ख. मूल वेतन का नियतन (वेतनरूद्ध प्रक्रम पर),--

प्रक्रम सं0	विकास अधिकारी श्रेणी 1	
	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)
1.	19980	31075
2.	20520	31915
3.	21060	32755

टिप्पण :--

1. "विद्यमान" पद से अनुसूची 'छ' के अनुसार यथा लागू मूल वेतन (जिसके अंतर्गत वेतनरूद्ध प्रकम भी है) अभिप्रेत है ।

2. ऐसे विकास अधिकारी का, जिसको स्कीम लागू होती है, मूल वेतन 1 अगस्त, 2007 को संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा :

   परंतु ऐसे विकास अधिकारी श्रेणी-1 की बाबत, जिसको 31 जुलाई, 2007 को विद्यमान वेतनमान में एक, दो या तीन वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही मंजूर कर दी गई हैं, पुनरीक्षित वेतनमान में उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी, यथास्थिति, पहले, दूसरे या तीसरे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

III. मंहगाई भत्ता :--

(1) विकास अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मान निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा,--

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक 2944

(ग) मंहगाई भत्ते की दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2944 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को वेतन के 0.15 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(घ) मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण : मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि या कमी के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जा सकेगा ।

(2) अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् चालू औसत अंक कहा गया है) में 2944-2948-2952-2956 के अनुक्रम में 2944 प्वाइंट से ऊपर और इसी प्रकार प्रत्येक प्वाइंटों की वृद्धि के लिए संदेय मंहगाई भत्ते का अर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक अंक से नीचे आ जाता है, जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता संदत्त किया गया है, तो संदेय मंहगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा । अधोगामी पुनरीक्षण पर, संदेय मंहगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंक के समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय मंहगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में चालू औसत अंक के ठीक पूर्ववर्ती अंक के समान होगा ।

(3) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र में, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, यथा प्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़ें, ऐसे सूचकांक आकड़ें होंगे, जिन्हें महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत आंकड़ें में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, उस तिमाही के अंत से दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा ।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजनों के लिए "तिमाही" पद से क्रमशः मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।

IV. मकान किराया भत्ता :

(1) ऐसे विकास अधिकारियों, जिन्हें कंपनी द्वारा वास सुविधा आबंटित की गई है, से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर रहते हुए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर से होगा :--

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	प्रतिमास दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव के नगर	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 3200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, क्रम सं. 1 में वर्णित शहरों के सिवाय, गांधी नगर और गोवा राज्य के सभी शहर	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	अन्य सभी स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे, जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हों ।

(2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी ।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) ऐसे अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा निवास स्थान आबंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

V. नगर प्रतिकर भत्ता :

(1) 1 अगस्त, 2007 से अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	दर
1.	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव	अधिकतम 675/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का

	नगर	3% ।
2.	ऐसे शहर, जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक है, क्रम सं0 1 में वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधी नगर और गोवा राज्य के सभी नगर ।	अधिकतम 675/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 3 % ।
3.	ऐसे शहर, जिनकी जनसंख्या 5 लाख और अधिक है, किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, ऐसी राज्य राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर ।	अधिकतम 545/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 3 % ।

टिप्पण :

(1) इस मद के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(2) नगरों के अंतर्गत उनकी नगर बस्तियां भी हैं ।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप पैरा (3) और उप पैरा (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता :

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के अनुगामी मास की पहली तारीख से विकास अधिकारी को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे सारणी में वर्णित किए गए अनुसार होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर) (1)	दर (2)
1	1500 मीटर और उससे अधिक	अधिकतम 370/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% ।
2	1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम, मर्कारा और ऐसे स्थान जिन्हें यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए	अधिकतम 290/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% ।

	विनिर्दिष्ट रूप से पर्वतीय स्थान घोषित किया गया है	
3	750 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान, जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हैं और जहां केवल पहाड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता है ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

VII. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता : -- (1) ऐसे पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को, जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने उसमें अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणामों के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से या 1 अगस्त, 2007 से, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	परीक्षा	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ.पी.ए.)
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :--	
	(i) लाइसेंसिएट	180/- रुपए
	(ii) एसोसिएटशिप	490/- रुपए
	(iii) फैलोशिप	820/- रुपए
2.	बीमांकक संस्थान :	
	प्रत्येक विषय उर्तीण करने पर	180/-
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान : निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :--	
	(i) इंटरमीडिएट परीक्षा	350/-
	(ii) अंतिम समूह क या समूह ख	600/-
	(iii) अंतिम समूह क और समूह ख	820/-

परंतु उसे तकनीकी अर्हता के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथावर्णित तकनीकी अर्हता के लिए या उसके किसी भाग के लिए पुनरीक्षित भत्ता की गणना किसी भत्ता या किसी सेवा या सेवांत फायदे के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी ।

VII. **नियत वैयक्तिक भत्ता :-- 1 अगस्त,** 2007 से कम्प्यूटरीकरण के कारण विकास अधिकारियों को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित किए गए अनुसार पुनरीक्षित हो जाएगा, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	निम्नलिखित वेतनमान में विकास अधिकारी (1.11.1993) को यथा विद्यमान)	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता	(अनुसूची घ) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि भाग	01.11.1993 को अनुसूची घ के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि भाग पर मंहगाई भत्ता ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रेणी 1	840/-	230/-	18.68
2.	श्रेणी 2	615/-	130/-	12.74

टिप्पण : सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित पुनरिक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता किसी भत्ते या किसी सेवा/सेवांत प्रसुविधाओं के लिए अर्हित नहीं होगा । तथापि, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा उल्लिखित अनुसूची घ के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि के भाग को 1 नवंबर, 1993 को उस पर मंहगाई भत्ते के साथ उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए वर्गीकृत किया जाएगा ।

ix. **पारादीप पत्तन भत्ता** :-- इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की एक तारीख से या नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चाततर्वी हो, पारादीप पत्तन में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को जब तक वह उस कार्यालय में तैनात रहता है, पचहत्तर रुपए प्रति मास के भत्ते का संदाय किया जाएगा । इस भत्ते को किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं माना जाएगा ।"।

[फा. सं. एस-11012/07/2010-बीमा I(ii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (इंश्योरेंस और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से कंपनियों में विकास अधिकारियों के वेतनमानों और उनकी सेवा की शर्तों को पुनरीक्षित किए जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है । साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 अधिसूचना में यथावनिर्दिष्ट तारीखों से तदनुसार संशोधित है ।

2. इससे अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों की बाबत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 को तदनुसार 1 जनवरी, 2004 से संशोधित किए गए थे ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम या कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर इस अधिसूचना को भुतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का.आ. 327(अ), तारीख 29.04.1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 761(अ), तारीख 01.12.1976, का.आ. 2444(अ), तारीख 30.07.1977, का.आ. 1048, तारीख 29.03.1978, का.आ. 414(अ), तारीख 28.06.1978, का.आ. 3430(अ), तारीख 16.11.1978, का.आ. 80(अ), तारीख 13.02.1987, का.आ. 781(अ), तारीख 22.08.1988, का.आ. 478(अ), तारीख 13.06.1990, का.आ. 766(अ), तारीख 9.10.1990, का.आ. 201(अ), तारीख 10.03.1992, का.आ. 82(अ), तारीख 02.02.1994, का.आ. 593(अ), तारीख 30.06.1995, का.आ. 522(अ), तारीख 18.7.1996, का.आ. 145(अ), तारीख 25.02.1997, का.आ. 730(अ), तारीख 27.08.1998, का.आ. 696(अ), तारीख 30.08.1999, का.आ. 588 (अ), तारीख 22.6.2000, का.आ. 781(अ), तारीख 30.08.2000, का.आ. 7(अ), तारीख 02.1.2003 का.आ. 1499(अ) तारीख 19.08.2008 और का.आ. 1831(अ) तारीख 23.07.2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2471(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2010.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007.

(3) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be applicable to all employees who were whole time employees in Development Officer cadre of the Company as on or after the 1st day of August, 2007:

Provided that the Development Officer, whose resignation had been accepted or whose service had been terminated during the period from the 1st day of August, 2007 till the date of publication of this Scheme in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of the revision under this Scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as "the said Scheme"), in paragraph 3, in clause (2), for the word and letter "Schedule G", the word and letter "Schedule H" shall be substituted.

3. In the said Scheme, in paragraph 3,-

(A) in clause (16), sub-clauses (d) and (e) shall be omitted with effect from the date of publication of this Notification;

(B) in clause (17), in sub-clause (c), in item (iv), after the words, figures and letters "performance year commencing on the 1st day of April, 2003", the words, figures and letters "and ending on the 31st day of March, 2010" shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2010;

(C) in clause (17), in sub-clause (c), after item (iv), the following shall be deemed to have been inserted, with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-

"and ending on the 31st day of March, 2010" shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2010;

(C) in clause (17), in sub-clause (c), after item (iv), the following shall be deemed to have been inserted, with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-

"(v) in relation to cost ratio for performance year commencing on the 1st day of April, 2010, the ratio specified in column (2) of the Table D below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof shall apply:-

TABLE – D

Development Officer operating at	cost ratio
(1)	(2)
(a) Cities with population exceeding 25 lakhs	7%
(b) Cities with population of 10 lakhs and above, but not exceeding 25 lakhs	8%
(c) Other centres	10%

Provided that for the performance year 01-04-2010 to 31-03-2011, relaxation of one percent. shall be allowed in the stipulated limits of cost ratio specified in Table –D:

Provided further that for a Development Officer posted in hardship area, the Chairman-cum-Managing Director may after taking into account the amount and the composition of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one percent. in the stipulated limit of cost ratio specified in Table – D:

Provided also that the stipulated limits of cost ratio shall be further relaxed by one percent. in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum period of 15 years of service.

Explanation-1 : 'Population' shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation-2 : 'Hardship area' shall mean an area specified as such by the Company in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area.".

4. For the paragraphs 7A, 7B and 7C of the said Scheme, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

" **7A . Scales of pay, method of fixation and payment of arrears.** (1) On and from the 1st day of August, 2007, the basic pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule H.

(2) The basic pay of every Development Officer who was in service on the 1st day of August, 2007 or was appointed thereafter shall be fixed in accordance with item II of Schedule H, with effect from the 1st day of August, 2007 or the date of appointment, whichever is later.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with item II of Schedule H, shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 2008 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualification payable under Schedule H and that paid under Schedule G after deducting the Development Officer's compulsory contribution to Provident Fund.

7B. Equitable relief. Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st day of August, 2007 to the 31st day of March, 2008 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation : For the purposes of this paragraph the term 'equitable relief' means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule H and Schedule G, respectively with consequent adjustment of ex-gratia payment, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave, as the case may be.

7C. Absorption of Arrears and Equitable relief in cost. The arrears and equitable relief determined under paragraph 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate, subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance years 2010-11 and 2011-12 in such proportion as he may choose within 90 days of the publication of this Scheme.".

5. In the said Scheme, in paragraph 13,-

(A) in sub-paragraph (3), for the words "revised scale of pay", the words, figure and letter "scale of pay as per Paragraph 7A" shall be substituted;

(B) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(4) A Development Officer, other than the one eligible for grant of benefit under sub-paragraph (3) of paragraph 11A, who has reached the maximum of the scale of pay as per Paragraph 7A as applicable to Development Officer Grade II, may subject to the conditions that he,

(a) fulfills the stipulated cost ratios under paragraphs 11,11A and 13 of the said Scheme, in the previous performance year ;
(b) is otherwise eligible for drawing normal grade increment; and
(c) is found to have a satisfactory work record,

be granted for every three completed years of continuous service after reaching such maximum a stagnation increment equal to the last increment drawn by him in the said scale of pay, subject to a maximum of three such increments. Authority competent to grant such stagnation increments shall be any Officer not below the rank of Scale IV, specifically authorised in this behalf:

Provided that the first such stagnation increment shall be granted from the first day of the month following the date of publication of this Scheme.

Explanation: For the purposes of this paragraph 'continuous service' means a period of duty excluding period of extra ordinary leave.".

6. In the said Scheme, in paragraph 16,-

(A) after the second proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the provisions of this paragraph shall not apply to Development Officers, who joined the service of the Company on or after the 1st day of January, 2004 and in respect of such Development Officers, the provisions of paragraph 16A shall apply.";

(B) in the Explanation, after item (iv), the following item shall be inserted, namely,

"(v) for the period commencing on the 1st day of August, 2007 as per Schedule 'H'.".

7. In the said Scheme, after paragraph 16, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"**16A New Pension Scheme Fund:**

Development Officers joining the service of the Company on or after the 1st day of January, 2004, and accordingly covered under the New Pension Scheme, in terms of Note (2) of paragraph 3 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 shall contribute every month, to the Fund for the New Pension Scheme, at the rate of 10% of the Basic Pay plus Dearness Allowance, and equal contribution shall be made by the Company.

Explanation: For the purposes of this paragraph, the expression "Basic Pay plus Dearness Allowance" shall be computed with reference to the Scales of Pay and Allowance applicable to the Development Officer in terms of this Scheme, as amended from time to time.".

8. In the said Scheme, in paragraph 21A,-

(A) in sub-paragraph (2), in the Explanation, for the words, brackets and figures "sub-paragraph (3) of paragraph 13", the words, brackets and figures "sub-paragraph (3) and (4) of paragraph 13" shall be substituted;

(B) in sub-paragraph (3), in clause (A), in item (ii), for the words "two hundred and fifty rupees", the words "three hundred and seventy five rupees" shall be substituted.

9. In the said Scheme, after Schedule-G, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE – H

[See paragraphs 3, 7A, 7B, 11, 11A, 13, 15B, 16 and 17]

I. **Scales of Pay (Basic Pay),-**

1. **Development Officer Grade I** : Rs. 12175-755(8)-18215-780(9)-25235-820(2)-26875-840(4)-30235

2. **Development Officer Grade II** : Rs. 8280-540(3)-9900-615(4)-12360

II. A. Fixation of Basic Pay (in the scale of pay),-

Stage No.	Development Officer Grade -I		Development Officer Grade -II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7850	12175	5400	8280
2.	8335	12930	5750	8820
3.	8820	13685	6100	9360
4.	9305	14440	6450	9900
5.	9790	15195	6850	10515
6.	10275	15950	7250	11130
7.	10760	16705	7650	11745
8.	11245	17460	8050	12360
9.	11730	18215		
10.	12230	18995		
11.	12730	19775		
12.	13230	20555		
13.	13730	21335		
14.	14230	22115		
15.	14730	22895		
16.	15230	23675		
17.	15730	24455		
18.	16230	25235		
19.	16755	26055		
20.	17280	26875		
21.	17820	27715		
22.	18360	28555		
23.	18900	29395		
24.	19440	30235		

B. Fixation of Basic Pay (at Stagnation Stages),-

Stage No.	Development Officer Grade -I	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	19980	31075
2.	20520	31915
3.	21060	32755

Notes:-

1. The term 'Existing' refers to the Basic Pay (including Stagnation Stages) as applicable in accordance with Schedule G.

2. The Basic Pay of the Development Officer, to whom this Scheme applies, shall be fixed as on the 1st day of August, 2007, at the corresponding stage in the respective revised scale of pay:

Provided that in respect of Development Officers Grade I, who have already been granted as on the 31st day of July, 2007, one, two or three Stagnation Increments in the existing scale of pay, their Basic Pay in

the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second or third stages above the maximum of the revised scale of pay, as the case may be.

III. Dearness Allowance

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under,-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

(b) Base : Index No 2944 in the series 1960 = 100

(c) Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 2944 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.15 percent. of Basic Pay.

(d) Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the current average figure) of the All India Consumer Price Index above 2944 points in the sequence 2944-2948-2952-2956 and so on and there shall be no downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence; the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation :- For the purposes of this item, 'quarter' means a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December respectively.

IV. House Rent Allowance

(1) The House rent allowance to Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Company shall be at the rates specified in the table below depending on the place of posting.

Sl. No.	Place of posting	Rate per month
(1)	(2)	(3)
1	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay subject to maximum of Rs.3,200/- per month
2	Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	8% of pay subject to maximum of Rs.2,700/- per month
3	All other places	7% of pay subject to maximum of Rs.2,600/- per month

Note: (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.

(3) 'pay' means Basic Pay and Stagnation Increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

(2) The Development Officer, who is allotted residential accommodation by the Company, shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Company from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance.-

With effect from the 1st day of August, 2007, the city compensatory allowance payable to the Development Officer shall be as specified in the Table, namely:-

Table

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate (3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	3% of pay subject to a maximum of Rs.675/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.625/- per month
3.	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to a maximum of Rs.545/- per month

Note:
(1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census [illegible]
(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
(3) 'Pay' means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

VI. Hill Station Allowance.- With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, the hill station allowance payable to the Development Officer shall be as mentioned in the Table below :-

TABLE

Sl. No. (1)	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level) (2)	Rate (3)
1.	1500 meters and over	2.5% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.370/- per month
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central Government or, as the case may be, the State Government for their employees	2% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.290/- per month
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over	2% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.290/- per month

Note: 'Pay' means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

VII. Allowance for Technical Qualification.-

(1) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2007, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Examination	Allowance for Technical Qualification (per month)
(1)	(2)	(3)
1	Insurance Institute of India Or Chartered Insurance Institute: On completion of:-	
	(i) Licentiate	Rs.180/-
	(ii) Associateship	Rs.490/-
	(iii) Fellowship	Rs.820/-
2	Institute of Actuaries:- On passing each subject	Rs.180/-
3	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of:-	
	(i) Intermediate Examination	Rs.350/-
	(ii) Final Group A or Group B	Rs.600/-
	(iii) Final Group A and Group B	Rs.820/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(3) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the said Table, or any part thereof, shall not count for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

VIII. Fixed Personal Allowance.- With effect from the 1st day of August, 2007, the fixed personal allowance payable to the Development Officers on account of computerisation shall stand revised as mentioned in column (3) of the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Development Officers in the Scale of Pay (as on 1.11.1993) of	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)	Increment portion of Fixed Personal Allowance as per the (Schedule-D)	Dearness Allowance on Increment portion of Fixed Personal Allowance as per Schedule-D as on 01-11-1993
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Grade I	840	230	18.68
2.	Grade II	615	130	12.74

as per the Schedule-D as mentioned in column (4) of the said Table shall rank for Provident Fund and Pension, and the said increment portion along with Dearness Allowance thereon as on the 1st day of November, 1993, as shown in column (5) of the said Table shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

IX. **Paradeep Port Allowance.-** With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme or the date of appointment, whichever is later, every confirmed Development Officer posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rupees one hundred and ten per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.".

[F. No. S-11012/07/2010-Ins. I(ii)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Pension)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the Scales of Pay and conditions of service of Development Officers in the Companies with effect from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 is amended accordingly with effect from the dates as specified in the notification.

2. Further, consequent upon the amendment in the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 in respect of employees joining on or after the 1st day of January, 2004, the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 is amended accordingly with effect from the 1st day of January, 2004.

3. It is certified that no Development Officer of the Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE: The Principal scheme was published vide Notification No. S.O. 327(E) dt. 29-04-1976 subsequently amended by Notification No. S.O. 761(E) dated 01-12-1976, S.O. 2444 dt. 30-07-1977, S.O.1048 dt. 29-03-1978, S.O.414(E) dt. 28-06-1978, S.O.3430 dt. 16-11-1978, S.O.80(E) dt. 13-02-1987, S.O. 781(E) dt. 22-08-1988, S.O.478(E) dt. 13.06.1990, S.O. 766(E) dt. 09-10-1990, S.O. 201(E) dt. 10-03-1992, S.O.82(E) dt. 02-02-1994, S.O. 593(E) dt.30-06-1995, S.O.522(E) dt. 18-07-1996,S.O. 145(E) dt. 25.02.1997, S.O. 730 (E) dt. 27.8.1998,S.O.696 (E) dt. 30.8.1999 ,S.O. 588(E) dt. 22.6.2000, S.O.781(E) dt. 30.8.2000, S.O.7(E) dt. 02-01-03, S.O. 1499 (E) dt. 19.06.2008 and S.O. 1831 (E) dt. 23.07.2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2472(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 2010 है ।

(2) जैसा इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह स्कीम 1 अगस्त, 2007 से प्रभावी समझी जाएगी ।

(3) जैसा इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2007 को, या उसके पश्चात, निगम या कंपनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द कॉडरों में पूर्णकालिक सेवा में थे :

परंतु यह कि ऐसे कर्मचारी जिनके त्यागपत्र 1 अगस्त, 2007 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के दौरान स्वीकार किए जा चुके हैं या जिन की सेवाएं इस दौरान समाप्त कर दी गई हैं, इस स्कीम के अंतर्गत पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(4) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी इस स्कीम के प्रकाशन से पहले वह जिस अतिकालिक भत्ते के लिए पात्र था, वह उससे अधिक पाने का पात्र नहीं होगा ।

2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(गक) "प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों" से नौवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं ;

(गख) "प्रथम युक्तिसंगत वेतनमानों" से नौवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत हैं ;" ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 4 में उपपैरा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(14) 1 अगस्त, 2007 से, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और भत्ते प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों के अनुसार होंगे । उस तारीख को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन और उस तारीख के पश्चात् किन्तु इस स्कीम के प्रकाशित होने की तारीख से पूर्व नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6च के उपबंधों के अनुसार प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अनुसार होगा ।

(15) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को जिसका मूल वेतन इस स्कीम के पैरा 6छ के उपबंधों के अनुसार प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में नियत किया गया है, प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में नियतन की तारीख से, 1 अगस्त, 2007 या उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए या उस तारीख से जिससे उसने इस स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प लिया है, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता

और अन्य भत्तों में (कर्मचारी का भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान की कटौती के पश्चात्) "प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों" और " पुर्नउपांतरित निबंधनों" जो उस पर लागू हो, के बीच का अंतर संदेय किया जाएगा:

परंतु -

(क) ऐसा कर्मचारी जो 1 अगस्त, 2007 के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए उपपैरा (15) में यथाविनिर्दिष्ट रकम के अंतर को उपदान की राशि के अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उदभूत हुआ है ; के साथ संदेय किया जाएगा ;

(ख) ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवा में रहते हुए 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई थी, उपपैरा (15) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का अंतर, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को संदेय किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि संदत्त की गई थी या की जाएगी और उपदान की राशि का अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उदभूत हुआ है, उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी उपदान की राशि संदेय की गई थी या की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद काडर से अधिकारी काडर में प्रोन्नत हुआ है या उसे विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है, ऊपर निर्दिष्ट रकम का अंतर (उपदान रकम के अंतर को छोड़क) अधिकारी के रूप में उसकी प्रोन्नति या विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तन की तारीख तक, प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों में उसके मूल वेतन के सैद्धांतिक नियतन के आधार पर संदत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : उपपैरा (15) के प्रयोजनों के लिए ' अन्य भत्ते' पद से किसी कर्मचारी की यथाअनुज्ञेय मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, कृत्यकारी भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, स्नातक भत्ता, तकनीकी अर्हता भत्ता, परिवहन भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है ।" ।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 6च के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 6छ. प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में मूल वेतन और भत्तों का नियतन :

(क) 1 अगस्त, 2007 को सेवारत तथा इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहने वाले प्रत्येक कर्मचारी का वेतनमान और अन्य भत्ते प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों के अनुसार इस प्रकार होंगे कि वह निम्न तारीखों से पूर्वतर न हो :-

(i) पर्वतीय स्थल भत्ता, किट भत्ता, संपरीक्षा सहायकों के लिए कृत्यकारी भत्ता और पारादीप पत्तन भत्ता के लिए इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख ; और

(ii) मूल वेतन और अन्य भत्तों के लिए 1 अगस्त, 2007 ।

(ख) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के मामले में जिस पर यह स्कीम लागू होती है, उसका वेतनमान और अन्य भत्ते प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों के अनुसार ऐसी तारीख से होंगे जो ऊपर उपपैरा (क) में उल्लिखित तारीख या नियुक्ति की तारीख, इन में से जो पश्चातवर्ती हो, के पूर्वतर न हो ।

(ग) उपपैरा (क) और उपपैरा (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी यह विकल्प ले सकेगा कि उसका वेतनमान और अन्य भत्ते नौवीं अनुसूची (प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों) के अधीन यथास्थिति, सारणी 1क या 1ख के अनुसार उपपैरा (क) में उल्लिखित तारीखों से या उसके पश्चात् किसी तारीख से जो कि इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख या उससे पूर्व हो, नियत किए जाएं, जिसके लिए वह लिखित में अपना विकल्प यथास्थिति, निगम या कंपनी को विहित अवधि के भीतर सूचित करेगा :

परंतु ऐसे कर्मचारी को 1 अगस्त, 2007 से ऐसी चयन की गई तारीख तक की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2007 से इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक के बकाया की संगणना करते समय यदि भविष्य निधि की कटौती के पश्चात् उपांतरित कुल मासिक परिलब्धियों और भविष्य निधि के कटौती के पश्चात् प्रथम युक्तिसंगत कुल मासिक परिलब्धियों के बीच का शुद्ध अंतर ऋणात्मक है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।" ।

5. उक्त स्कीम में, पैरा 7 में, -

(अ) उपपैरा (1) में स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उप कर्मचारिवृंद, चालक या अभिलेख लिपिक के वेतनमान के किसी कर्मचारी के संबंध में जिसका वेतन 1 अगस्त, 2007 से प्रभावी प्रथम युक्तिसंगत वेतनमानों में क्रमशः 12075 रु., 14365 रु. या 16260 रु. या अधिक नियत किया गया है, ऐसे नियत किए जाने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि, 1 अगस्त, 2008 को या उस मास के पहले दिन को जिसको वह ऐसे नियत किए जाने के पश्चात् सतत सेवा के बारह मास पूरे करता है, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, देय होगी । किसी ऐसे कर्मचारी को पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धियां, इस पैरा में ऊपर उपबंधित के अनुसार देय होगी ।";

(आ) उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जिसका मूलवेतन 1 अगस्त, 2007 को या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को पैरा 6छ के अधीन प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में अधिकतम पर नियत किया गया है और ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो अपनी सेवा अवधि के दौरान उसके पश्चात् किसी समय प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाएगा, ऐसा अधिकारी जो 'वेतनमान III' रैंक से नीचे का न हो जिसे इस निमित्त निगम या कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, कर्मचारी का कार्य अभिलेख संतोषप्रद पाए जाने पर, निम्नलिखित के लिए विचार कर सकेगा,-

(क) प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को उसके द्वारा सहायक के प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के बाद की गई निरंतर सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए उस के द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि की दर पर, ऐसी अधिकतम सात वेतनवृद्धियों के अधीन रहते हुए, एक वेतनवृद्धि मंजूर करना :

परंतु ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2007 तक पुर्नउपांतरित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पांच या छह वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उनका मूल वेतन नौवीं अनुसूची की सारणी 1ख में यथादर्शित संबद्ध प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पांच या छह चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी भी कर्मचारी को सातवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, छठवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से दी जाएगी ;

(ख) वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक के प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को उसके द्वारा की गई निरंतर सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के लिए प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने पर उस के द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि की दर पर, ऐसी अधिकतम छह वेतनवृद्धियां के अधीन रहते हुए, एक वेतनवृद्धि मंजूर करना :

परंतु ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2007 तक पुर्नउपांतरित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार या पांच वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उनका मूल वेतन नौवीं अनुसूची की सारणी 1ख में यथादर्शित संबद्ध प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार या पांच चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी भी कर्मचारी को छठवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, पांचवीं वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनों के लिए " निरंतर सेवा" से ऐसी कर्तव्य अवधि अभिप्रेत है जिसमें असाधारण छुट्टी सम्मिलित नहीं है ।" ।

6. उक्त स्कीम में, पैरा 10 में, 1 जनवरी, 2011 से उपपैरा (4) में,-

(अ) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) सक्षम प्राधिकारी, एक कलेंडर वर्ष में छह बार से अनधिक किसी कर्मचारी को या तो केवल पूर्वाह्न के लिए या केवल अपराह्न के लिए आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए अनुज्ञात कर सकता है और इस दशा में ली गई छुट्टी की अवधि को आधा दिन के रूप में माना जाएगा ।";

(आ) लोप किए गए खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (छ) शनिवार, रविवार, वैकल्पिक अवकाश और अवकाश की चाहे वह पहले आए या बाद में आए, आकस्मिक छुट्टी के रूप में गणना नहीं की जाएगी ।" ।

7. उक्त स्कीम में, पैरा 11 में, -

(अ) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह भी कि इस पैरा के उपबंध ऐसे कर्मचारियों को लागू नहीं होंगे जिन्होंने यथास्थिति, निगम या कंपनी की सेवा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् आरंभ की है और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में पैरा 11क के उपबंध लागू होंगे ।";

(आ) स्पष्टीकरण में खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) 1 अगस्त, 2007 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए प्रथम युक्तिसंगत निबंधनों के निर्देश में संगणित की जाएगी ।" ।

8. उक्त स्कीम में, पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11क. नई पेंशन स्कीम निधि :

1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, निगम या कंपनी की सेवा आरंभ करने वाले और तदनुसार साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 3 के टिप्पण (2) के निबंधनानुसार नई पेंशन स्कीम के अधीन आने वाले कर्मचारी, मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के दस प्रतिशत की दर से नई पेंशन स्कीम के लिए निधि में प्रत्येक मास अभिदाय करेंगे तथा यथास्थिति, निगम या कंपनी द्वारा समान अभिदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए पद "मूल वेतन और मंहगाई भत्ता", समय-समय पर यथासंशोधित इस स्कीम के निबंधनानुसार कर्मचारी को लागू वेतनमानों और भत्तों के निर्देश में संगणित किया जाएगा ।" ।

9. उक्त स्कीम में, पैरा 18 में,-

(अ) उपपैरा (1) में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से,-

(i) खंड (क) में " सीमित होगा" शब्दों के स्थान पर, " साधारणतया सीमित होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (घ) ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में जहां, यथास्थिति, कंपनी या निगम की अपेक्षा या आवश्यकता, 150 किलोमीटर की परिधि से किसी विशेष स्थानांतरण को निर्बंधित करने से पूरी नहीं होती है वहां अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत वेतनमान VII की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, किसी कर्मचारी को 150 किलोमीटर की परिधि से परे स्थानांतरित कर सकेगा, ऐसी दशा में इस प्रकार स्थानांतरित किए गए

कर्मचारी को उपरोक्त खंड (ग) के अनुसार संदेय विस्थापन भत्ता 600 रुपए प्रति मास तक पुनरीक्षित किया जाएगा ।";

(आ) उपपैरा (2) में, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से " उपपैरा (1) के खंड (ग)" शब्दों के स्थान पर, "उपपैरा (1) के खंड (ग) या खंड (घ)" शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त स्कीम में, आठवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नौवीं अनुसूची

[पैरा 3(गक) और (गख)]

1. प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान

क. पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कर्मचारीवृंद ।

(1) ज्येष्ठ सहायक

10670-755(3)-13690-840(15)-26290 रुपए

(2) आशुलिपिक

10670-755(3)-13690-840(15)-26290 रुपए

(3) सहायक, टंकक, टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर, स्वागतकर्ता, पंच कार्ड आपरेटर, एकक अभिलेख मशीन आपरेटर, काम्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद

7640-440(1)-8080-480(2)-9040-540(5)-11740-625(2)-12990-760(3)-15270-790(2)-16850-840(5)-21050 रुपए

(4) अभिलेख लिपिक

7085-305(2)-7695-325(5)-9320-350(1)-9670-390(2)-10450-430(3)-11740-480(5)-14140-530(9)-18910 रुपए

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृंद

(1) चालक

7085-305(2)-7695-315(14)-12105-350(2)-12805-390(9)-16315 रुपए

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृंद

6180-250(5)-7430-265(8)-9550-315(1)-9865-325(2)-10515-390(9)-14025 रुपए

मूल वेतन और वृद्धिरूद्ध चरणों का नियतन निम्नलिखित सारणियों के अनुसार होगा:-

1क. मूलवेतन का नियतन.

सारणी

(रुपए अंकों में)

ज्येष्ठ सहायक/ आशुलिपिक		सहायक		अभिलेख लिपिक		चालक		अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृंद	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
6685	10670	4995	7640	4665	7085	4665	7085	4105	6180
7370	11425	5280	8080	4855	7390	4855	7390	4270	6430
7855	12180	5590	8560	5045	7695	5045	7695	4435	6680
8340	12935	5900	9040	5255	8020	5250	8010	4600	6930

8825	13690	6250	9580	5465	8345	5455	8325	4765	7180
9365	14530	6600	10120	5675	8670	5600	8640	4930	7430
9905	15370	6950	10660	5885	8995	5865	8955	5105	7695
10445	16210	7300	11200	6095	9320	6070	9270	5280	7960
10985	17050	7650	11740	6320	9670	6275	9585	5455	8225
11525	17890	8055	12365	6570	10060	6480	9900	5630	8490
12065	18730	8460	12990	6820	10450	6685	10215	5805	8755
12605	19570	8950	13750	7100	10880	6890	10530	5980	9020
13145	20410	9440	14510	7380	11310	7095	10845	6155	9285
13685	21250	9930	15270	7660	11740	7300	11160	6330	9550
14225	22090	10440	16060	7970	12220	7505	11475	6535	9865
14765	22930	10950	16850	8280	12700	7710	11790	6745	10190
15305	23770	11490	17690	8590	13180	7915	12105	6955	10515
15845	24610	12030	18530	8900	13660	8135	12455	7165	10905
16385	25450	12570	19370	9210	14140	8355	12805	7415	11295
16925	26290	13110	20210	9555	14670	8605	13195	7665	11685
		13650	21050	9900	15200	8855	13585	7915*	12075
				10245	15730	9105	13975	8165*	12465
				10590*	16260	9355*	14365	8415*	12855
				10935*	16790	9605*	14755	8665*	13245
				11280*	17320	9855*	15145	8915*	13635
				11625*	17850	10105*	15535	9165*	14025
				11970*	18380	10355*	15925		
				12315*	18910	10605*	16315		

*: पुर्नउपांतरित निबंधनों में ये चरण, वृद्धिरूद्ध चरणों के रूप में दर्शित हैं ।

1ख. मूल वेतन - वृद्धिरूद्ध चरणों का नियतन

[पैरा 7, उपपैरा (2) देखिए]

सारणी

(रुपए अंकों में)

ज्येष्ठ सहायक/ आशुलिपिक		सहायक	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
17465	27130	14190	21890
18005	27970	14730	22730
18545	28810	15270	23570
19085	29650	15810	24410
19625	30490	16350	25250
		16890	26090

टिप्पण :

(1) 1 अगस्त, 2007 को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी, जो इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, का मूल वेतन 1 अगस्त, 2007 से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू प्रथम युक्तिसंगत वेतन मान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(2) 1 अगस्त, 2007 के पश्चात् नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी, जो इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, का मूल वेतन उसकी नियुक्ति की तारीख से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू प्रथम युक्तिसंगत वेतन मान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् सेवा में था और इस स्कीम के प्रकाशन पर या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, 1 अगस्त, 2007 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू प्रथम युक्तिसंगत वेतन मान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा :

परंतु सहायक के वेतनमान में प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2007 तक पुर्नउपांतरित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पांच या छह वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही मंजूर की जा चुकी है, उनका मूल वेतन संगत प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पांच या छह चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि सहायक के वेतनमान में किसी भी कर्मचारी को सातवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, छठवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, ज्येष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2007 तक पुर्नउपांतरित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार या पांच वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धियां पहले ही प्रदान की जा चुकी है, उनका मूल वेतन संगत प्रथम युक्तिसंगत वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार या पांच चरण ऊपर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ज्येष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में किसी भी कर्मचारी को छठवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि, पांचवीं वृद्धिरूद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से दी जाएगी ।

II. कृत्यकारी भत्ते

(1) 1 अगस्त, 2007 से निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे:-

(i)	अधीनस्थ कर्मचारीवृंद जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में की-होल्डर या बैंक को नकदी ले जाने या लाने के कार्य में लगा हुआ है, जहां किसी कैलेन्डर मास में ले जाए जाने वाली नकदी की राशि सामान्यतया 25000/- रुपए या उससे अधिक है,	375/-रु0 प्रतिमास
(ii)	अन्य अधीनस्थ कर्मचारीवृंद जो लिफ्टमैनों, मशीन आपरेटरों, हैड चपरासियों, जमादारों, दफ्तरियों, एसी संयंत्र आपरेटरों और भारी यान चालकों के रूप में कार्य कर रहे हैं जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे,	165/-रु0 प्रतिमास
(iii)	सहायक (या सहायक की अनुपलब्धता की दशा में ज्येष्ठ सहायक)जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में कार्यालय में नकद संबंधी कार्य कर रहा है जहां किसी कैलेण्डर मास में रकम का नकद संव्यवहार सामान्यतया 25000 रुपए या उससे अधिक है ,	800/-रु0 प्रतिमास

(iv)	टेलेक्स आपरेटर, पंच कार्ड आपरेटर, एकक अभिलेख मशीन आपरेटर और काम्पटिस्ट जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे,	60/-रु0 प्रतिमास
(v)	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, स्केल VII, स्केल VI समतुल्य पदाधिकारियों के आशुलिपिक ।	75/-रु0 प्रतिमास

(2) इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी मास की 1 तारीख से संपरीक्षक सहायकों का कार्य करने वाले कर्मचारियों को 460/- रु0 प्रतिमास की दर से कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

टिप्पण 1 : कृत्यकारी भत्ता लेने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर निर्भर होगा ।

टिप्पण 2 : कोई कर्मचारी एक समय पर केवल एक कृत्यकारी भत्ता लेगा ।

टिप्पण 3 : छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को असाधारण छुट्टी की अवधि से भिन्न उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कृत्यकारी भत्ते का संदाय किया जाएगा, यदि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी हैसियत में अपना कार्य ग्रहण करता है ।

टिप्पण 4 : कोई कर्मचारी, अधिकार के रूप में कृत्यकारी भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट पद के कार्य के आबंटन का हकदार नहीं होगा, जो उस हैसियत या पद से जुड़ा हुआ है ।

टिप्पण 5 : कोई कर्मचारी, कृत्यकारी भत्ते वाली हैसियत में कार्य करने से इंकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं लगाएगा कि उसे, जहां किसी पदधारी की अनुपस्थिति के कारण या कार्य के अस्थायी दबाव के कारण उस के कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया है इसलिए ऐसा भत्ता संदत्त किया जाए ।

टिप्पण 6 : उपरोक्त खंडों में से किसी खंड या उसके किसी भाग के अधीन कृत्यकारी भत्ते को मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा और उसे किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

III. **महंगाई भत्ता** :

(1) कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ते की दर का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) **सूचकांक** : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) **अधार** : 1960=100 की श्रृंखला में सूचकांक सं0 2944

(ग) **दर** : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2944 अंक के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए कर्मचारियों को मूल वेतन के 0.15 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण : महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा ।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक में 2944 अंकों से ऊपर त्रैमासिक आधार (जिसे इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 2944-2948-2952-2956 इत्यादि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमासी के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा । नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में, का कोई अंक है तो संदेय महंगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू आसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है।

(3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें से जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में यथा प्रकाशित अंतिम सूचकांक, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, केवल तिमाही की समाप्ति के आगामी दूसरी पश्चातवर्ती मास से प्रभावी होगा ।

स्पष्टीकरणः इस मद के प्रयोजन के लिए "तिमाही" से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर मास के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।

IV . तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ताः

(1) ऐसे पुष्ट कर्मचारी को जो अर्हक है या जिसने नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख या 1 अगस्त, 2007 से, इनमें से जो पश्चात्तवर्ती हो, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए भता संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	परीक्षा	तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता (प्रतिमास)
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थानः निम्नलिखित के पूरा होने परः (i) लाइसैंसिएट (ii) एसोसिएटशिप (iii) फैलोशिप	 180/-रु0 490/-रु0 820/-रु0
2.	बीमांकक संस्थान: प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	180/-रु0
3.	चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या लागत	

	और संकर्म लेखा संस्थान : निम्नलिखित के पूरा होने पर: (i) इंटरमीडिएट परीक्षा (ii) अंतिम समूह क और समूह ख (iii) अंतिम समूह क और समूह ख	 350/-रु0 600/-रु0 820/-रु0
4.	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एआईसीटीई से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम)	820/-रु0

परंतु उसे एक से अधिक तकनीकी अर्हता भत्ता अननुज्ञेय होगा ।

(2) तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते की मंजूरी संबद्ध कर्मचारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) जहां कर्मचारियों को उक्त किन्हीं परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले ही अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा चुकी है, या कोई अन्य आवर्ती आर्थिक फायदा दिया जा चुका है वहां तकनीकी अर्हता भत्ते की रकम को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाएगा या उसे संदेय नहीं होगा जो उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

(4) वेतनमान के अधिकतम पर पहंचने के पश्चात् एक वर्ष की सेवा के पूरी होने पर ऐसा कर्मचारी तकनीकी अर्हता भत्ता प्राप्त करेगा जिसकी राशि पूरी दर के आधे से कम नहीं होगी और एक वर्ष को और सेवा के लिए उक्त तकनीकी अर्हता भत्ता पूरा संदाय किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता भत्ता या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के या किसी सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरणः स्तंभ (2) में क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ।

V. **स्नातक वेतन वृद्धि या भत्ता :**

(1) **सहायक को स्नातक वेतन वृद्धि या भत्ता:**

1 अगस्त, 2007 से सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतनवृद्धियां या भत्ता निम्न प्रकार से संदत्त किया जाएगा :-

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे सहायक के वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त किया गया है या प्रोन्नत किया गया है और जिसने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अगस्त, 2007 के पूर्व किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है और वह वेतनमान के अधिकतम पर नहीं पहुंचा है, उसे परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या इस स्कीम के प्रकाशन के अगले मास के पहले दिन या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, इन में जो पश्चात्तवर्ती हो, वेतनमान में दो वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएंगी, परंतु वह ऐसा स्नातक अर्हित होने के कारण पहले से ही वेतनवृद्धि या अर्हता वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है या नियुक्ति पर कोई अग्रिम वेतनवृद्धि, भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त की जाने वाली परिलब्धियों की संरक्षा से भिन्न नहीं ले रहा है ।

परंतु यदि स्नातक के लिए वेतनवृद्धि का हकदार कोई कर्मचारी, मूल वेतन के रूप में 20210 रुपए प्राप्त कर रहा है तो उसे स्नातक के लिए केवल एक वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी ।

(ख) स्नातक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 के पूर्व स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है और वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, उसे नीचे की सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार 1 अगस्त, 2007 से पुनरीक्षित स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा :-

सारणी

प्रक्रम	**1अगस्त, 2007 से प्रतिमास पुनरीक्षित स्नातक वेतनमान**
(1)	(2)
वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्	300/-रु0
वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात्	530/- रु0

(ग) स्नातक भत्ता या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(2) **अभिलेख लिपिकों को स्नातक भत्ता :**

अभिलेख लिपिक के वेतनमान में ऐसे कर्मचारी को, जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 से पूर्व स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की

तारीख से या अभिलेख लिपिक के रूप में प्रोन्नति की तारीख से या 1 अगस्त, 2007 से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो 200 रुपए प्रतिमास का स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

टिप्पणः अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता न तो विशेष भत्ते के रूप में और न ही किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में समझा जाएगा या हिसाब में लिया जाएगा और यह कर्मचारी की प्रोन्नति पर वापस ले लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरणः इस मद के प्रयोजन के लिए " मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

VI. मकान किराया भत्ताः

(1) 1 अगस्त, 2007 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थस कर्मचारीवृंद को संदेय मकान किराया भत्ता नीचे सारणी में यथादर्शित होगा :-

सारणी

क्र.सं.	तैनाती का स्थान (1)	प्रतिमास दर (2)
1.	मुबई, नवीं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबार, बैंगलुरु, हैदराबार, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद नोएडा, और गुड़गांव, के नगर ।	वेतन का 10 प्रतिशत, न्यूनतम 700/- रुपए और अधिकतम 3200/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	क्रम संख्यांक 1. में वर्णित नगरों को छोड़कर, 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, गांधीनगर और गोवा राज्य के सभी शहर	वेतन का 8 प्रतिशत, न्यूनतम 600/-रुपए और अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	अन्य सभी स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, न्यूनतम 570/-रुपए और अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण 1. इस मद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में हैं ।

टिप्पण 2: नगरों में उनकी शहरी बस्तियां सम्मिलित होंगी ।

टिप्पण 3: 'वेतन' से मूल वेतन, और पैरा 7 के उपपैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

टिप्पण 4: पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान, उक्त पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अध्यधीन होगा ।

2. ऐसे कर्मचारी जिन्हें निवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर आबंटित किये गए हैं, किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किंतु वे ऐसी सुविधाओं के लिए निगम या कंपनी को निगम या कंपनी के बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जा सकने वाली समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे । परंतु ऐसा कर्मचारी जिसे निवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर 1 अप्रैल, 1983 से पूर्व आबंटित किया गया है और जो उक्त स्कीम की चौथी अनुसूची के मद VI में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है, जब तक वह निगम या कंपनी द्वारा आबंटित किए हुए उसी आवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर को कब्जे में रखे हुए है ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करता रहेगा ।

VII. **नगर प्रतिकारात्मक भत्ता :**

1 अगस्त, 2007 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ता नीचे सारणी में दिखाए गए अनुसार होगा :-

सारणी

क्र सं.	**तैनाती का स्थान** **(1)**	**प्रतिमास दर** **(2)**
1.	मुबई, नवीं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबार, बैंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद नोएडा, और गुड़गांव, के नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत, न्यूनतम 205/- रुपए और अधिकतम 635/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	क्रम संख्यांक 1. में-वर्णित नगरों को छोड़कर, 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर , गांधीनगर और गोवा राज्य के सभी नगर	वेतन का 2.5 प्रतिशत, न्यूनतम 170/-रुपए और अधिकतम 595 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या पांच लाख और उससे अधिक है किंतु बारह लाख से कम है, राज्यों की बारह लाख से अनधिक जनसंख्या वाली राजधानियां चंडीगढ़, मोहाली, पांडेचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला ।	वेतन का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 125/-रुपए और अधिकतम 510 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण 1: इस मद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में है ।

टिप्पण 2: नगरों में उनकी शहरी बस्तियां सम्मिलित होंगी ।

टिप्पण 3: 'वेतन' से मूल वेतन, और पैरा 7 के उपपैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

टिप्पण 4: पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान, उक्त पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अध्यधीन होगा ।

VIII. पर्वतीय स्थान भत्ता:

स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की पहली तारीख से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता निम्न प्रकार से होगा:-

क्र0सं0	स्थान (1)	दर (2)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 370 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिदिष्ट रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ' पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 290 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 290 रु0 प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण: मूल वेतन के अंतर्गत पैरा 7 के उपपैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियां, यदि कोई हों, भी हैं ।

IX. किट भत्ता:

प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को, जो इस अनुसूची की मद VIII में सूचीबद्ध किन्हीं पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित किया गया है , इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से, 1000/- रुपए किट भत्ते का संदाय किया जाएगा । किट भत्ता यदि ऐसा भत्ता पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया है तो पर्वतीय स्थान से दूसरे पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित होने पर संदाय नहीं किया जाएगा ।

X. नियत वैयक्तिक भत्ता :

1 अगस्त, 2007 से कंप्यूटरीकरण मद्दे कर्मचारियों को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार पुनरीक्षित होगा :-

सारणी

क्र.संख्या	कर्मचारी निम्नलिखित वेतनमान में (1.11.1993 के अनुसार)	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ.पी.ए.)	परिवर्तित निबंधनों के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि वाला भाग (छठी अनुसूची)	01-11-1993 को परिवर्तित निबंधनों के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के वतनवृद्धि वाले भाग पर महंगाई भत्ता ।
	(1)	(2)	(3)	(4)
		रु0	रु0	रु0
1.	ज्येष्ठ सहायक	840	230	18.68
2.	आशुलिपिक	840	230	18.68
3.	सहायक आदि	840	230	18.68
4.	अभिलेख लिपिक	530	130	12.74
5.	चालक	390	100	9.80
6.	अन्य कर्मचारिवृंद	390	100	9.80

टिप्पणः ऊपर दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथादर्शित पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ.पी.ए.) किसी भी भत्ते या किसी भी सेवा या सेवानिवृत्ति-फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा । तथापि, परिवर्तित निबंधनों के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते की वेतनवृद्धि वाला जो ऊपर स्तंभ (4) में दिखाया गया है भविष्य निधि और पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और उक्त वेतनवृद्धि भाग को, उस पर स्तंभ (5) में यथादर्शित 1 नवंबर, 1993 को महंगाई भत्ते सहित, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए गणना में लिया जाएगा ।

XI. **परिवहन भत्ता** :

आठवीं अनुसूची की मद XI के अनुसार कर्मचारियों को 150 रुपए प्रतिमास की दर से संदेय परिवहन भत्ता, 1 अगस्त, 2007 से 275 रुपए प्रतिमास के रूप में पुनरीक्षित हो जाएगा ।

XII. **पारादीप पत्तन भत्ता-**

इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख या नियुक्ति की तारीख, इनमें से जो भी पश्चात्तवर्ती हो, कंपनी के पारादीप पत्तन कार्यालय में तैनात प्रत्येक पुष्ट कर्मचारी को तब तक 110/-रुपए प्रतिमास भत्ते के रूप में संदत्त किया जाएगा जब तक वह उस कार्यालय में तैनात है । यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा ।";

[फा. सं. एस-11012/07/2010-बीमा I(iii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (इंश्योरेंस और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से निगम और कंपनियों के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन दे दिया है । तनदुसार, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीखों से साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का संशोधन किया जाता है ।

2. यह और कि 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम 1974 को तदनुसार 1 जनवरी, 2004 से संशोधित किया जाता है ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से निगम या कंपनियों के किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण :- मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का0आ0 326(अ), तारीख 27 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 का0आ0 472(अ), तारीख 5 सितंबर, 1975, का0आ0 5415, तारीख 22 दिसंबर, 1975, का0आ0 390(अ), तारीख 1 जून, 1976, का0आ0 4466, तारीख 11 नवंबर, 1976, का0आ0 2443, तारीख 30 जुलाई, 1977, का0आ0 1046, तारीख 29 मार्च, 1978, का0आ0 1049, तारीख 29 मार्च, 1978, का0आ0 1410 , तारीख 26 अप्रैल, 1978, का0आ0 3429, तारीख 16 नवंबर, 1978, का0आ0 314(अ), तारीख 12 मई, 1980, का0आ0 729(अ), तारीख 21 सितंबर, 1984, का0आ0 769(अ), तारीख 15 अक्तुबर, 1985, का0आ0 884(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1985, का0आ0 729(अ), तारीख 3 अक्तुबर, 1986, का0आ0 441(अ), तारीख 27 अप्रैल, 1987, का0आ0 1038(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987, का0आ0 780(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988, का0आ0 783(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988, का0आ0 1160 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 1988, का0आ0 180(अ), तारीख 10 मार्च, 1989, का0आ0 356(अ), तारीख 12 मई, 1989, का0आ0 405(अ), तारीख 24 मई, 1990, का0आ0 542(अ), तारीख 6 जुलाई, 1990, का0आ0 593(अ), तारीख 27 जुलाई, 1990, का0आ0 754, तारीख 4 अक्तुबर, 1990, का0आ0 797(अ) , तारीख 25 नवंबर, 1991, का0आ0 909(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1991, का0आ0 83, तारीख 2 फरवरी, 1994, का0आ0 594(अ), तारीख 30 जून, 1995, का0आ0 139(अ) , तारीख 22 फरवरी, 1996, का0आ0 759(अ), तारीख 1 नवंबर, 1996, का0आ0 465(अ), तारीख 27 मई, 1998, का0आ0 731(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998, का0आ0 694(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999, का0आ0 589(अ) , तारीख 22 जून, 2000, का0आ0 782(अ), तारीख 30 अगस्त, 2000, का0आ0 225(अ), तारीख 15 मार्च, 2001, का0आ0 633(अ), तारीख 4 मई, 2005 और का0आ0 1793(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2005 द्वारा उनका पश्चात्तवर्ती संशोधित किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2472(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2010.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007.

(3) Save as otherwise provided in this Scheme, this Scheme shall be applicable to all employees who were in whole-time service in Supervisory, Clerical and Sub-ordinate Staff cadres of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August, 2007:

Provided that the employees whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2007 and the date of publication of this Scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this Scheme.

(4) Nothing contained in this Scheme shall entitle an employee to claim Overtime Allowance higher than what he had been entitled to prior to the publication of this Scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as "the said Scheme"), in paragraph 3, after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ca) "first rationalised terms" means the scales of pay and allowances as specified in the Ninth Schedule;

(cb) "first rationalised scales of pay" means the scales of pay as specified in the Ninth Schedule;'.

3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (13), the following shall be inserted, namely:-

"(14) With effect from the 1st day of August, 2007, the pay and allowances of every employee shall be in accordance with the first rationalised terms. The basic salary of every employee in service as on that date and of every employee appointed after that date but before the date of publication of this Scheme, shall be in accordance with the first rationalised scales of pay as per the provisions of paragraph 6G.

(15) Every employee whose basic salary is fixed in the first rationalised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6G of this Scheme shall be paid, from the date of fixation in the first rationalised scales of pay, for the period commencing from the 1st day of August, 2007 or the date of his appointment, or the date from which he opts to be governed by the provisions of this Scheme, whichever is later, the difference of Basic Salary, Personal Pay, if any, Dearness Allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund), between the first rationalised terms and re-modified terms applicable to him:

Provided that –

(a) an employee who had retired from service after the 1st day of August, 2007 shall be paid the difference in the amount, as specified in sub-paragraph (15), for the period upto the date of his retirement along with the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this Scheme;

(b) in the case of an employee who had died whilst in service on or after the 1st day of August, 2007, the difference in the amount as specified in sub-paragraph (15), for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this Scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid:

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Sub-ordinate Staff cadres to the cadre of officer or converted as Development Officer on or after the 1st day of August, 2007, the difference in the amount referred to above (excluding the difference in gratuity amount) upto the date of his promotion as officer or conversion as Development Officer, shall be paid on the basis of notional fixation of his basic salary in the first rationalised terms.

Explanation: For the purposes of sub-paragraph (15), the expression 'other allowances' means House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Functional Allowance, Hill Station Allowance, Graduation Allowance, Allowance for Technical Qualification, Transport Allowance, Paradeep Port Allowance, and Fixed Personal Allowance as admissible to an employee.".

4. In the said Scheme, after paragraph 6F, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"6G. Fixation of Basic Salary in the first rationalised scales of pay and allowances:

(a) The scales of pay and other allowances in case of every employee in service as on the 1st day of August, 2007, and continuing to be in service on or after the date of publication of this Scheme, shall be in accordance with the first rationalised terms from a date not earlier than,-

(i) 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, for Hill Station Allowance, Kit Allowance, Functional Allowance for Audit Assistants and Paradeep Port Allowance; and

(ii) the 1st day of August, 2007, for Basic Salary and other allowances;

(b) The scales of pay and allowances in case of every employee to whom this Scheme applies, shall be in accordance with the first rationalised terms from a date not earlier than the date mentioned in sub-paragraph (a) above or the date of appointment, whichever is later;

(c) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (a) and (b), an employee may choose that the scales of pay and other allowances may be fixed in his case in accordance with Table I A or I B, as the case may be, under the Ninth Schedule, (the first rationalised terms) with effect from the dates mentioned in sub-paragraph (a) above or any date thereafter but on or before the date of publication of this Scheme, in which case, he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company, as the case may be, within the period as may be stipulated :

Provided that no arrears shall be payable to such employee for the period from the 1st day of August, 2007 to the date so chosen:

Provided further that while calculating the arrears from the 1st day of August, 2007 to the date of publication of this Scheme, if the net difference between the re-modified total monthly emoluments after deducting Provident Fund and the first rationalised total monthly emoluments after deducting Provident Fund is negative, the same shall be ignored.".

5. In the said Scheme, in paragraph 7,-

(A) in sub-paragraph (1), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in respect of an employee in the scale of Sub-staff, Driver or Record Clerk, whose basic salary is fixed at Rs. 12,075/-, Rs. 14,365/- or Rs. 16,260/- respectively or above in the first-rationalized scales of pay effective from 1st day of August, 2007, the next increment after such fixation shall be due on the first day of August, 2008 or on the 1st day of the month in which he completes twelve months of continuous service after such fixation, whichever is later. Subsequent increments to such an employee shall be due as provided in this sub-paragraph above.";

(B) for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) In respect of an employee whose basic salary is fixed at maximum of the first rationalised scales of pay on the 1st day of August, 2007 or on the date of publication of this Scheme under paragraph 6G and in respect of an employee who will be reaching the maximum of the first rationalised scales of pay at any time thereafter during the period of his service, an officer not below the rank of 'Scale III' authorised by the Corporation or Company in this behalf, subject to the work record being found satisfactory, may consider,-

(a) granting of one increment to such employee in the first rationalised scale of Assistant for every two years of continuous service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the first rationalised scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale, subject to a maximum of **seven** such increments:

Provided that in respect of the employees, who have already been granted as on the 31st day of July, 2007, one, two, three, four, five or six stagnation increments, in the re-modified scales of pay, their basic salary in the relevant first rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth or sixth stages above the maximum of the first rationalised scale, as shown in Table I B of Ninth Schedule:

Provided further that the seventh stagnation increment shall be granted to an employee, after the completion of two years from the date of receipt of sixth stagnation increment or, from 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later;

(b) granting of one increment to such employee in the first rationalised scale of Senior Assistant or Stenographer, for every three years of continuous service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the first rationalised scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale subject to a maximum of **six** such increments:

Provided that in respect of the employees who have already been granted as on the 31st day of July, 2007, one, two, three, four or five stagnation increments, in the re-modified scale of pay, their basic salary in the relevant first rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth or fifth stages above the maximum of the first rationalised scale, as shown in Table I B of Ninth Schedule:

Provided further that the sixth stagnation increment shall be granted to an employee after completion of three years from the date of receipt of fifth stagnation increment or, from 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later.

Explanation: For the purposes of this paragraph 'continuous service' means a period of duty excluding period (s) of Extraordinary Leave.".

6. In the said Scheme, in paragraph 10, with effect from 1st January, 2011, in sub-paragraph (4),-

(A) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) The Competent Authority, on not more than six times in a calendar year, can allow an employee to avail of casual leave either for the forenoon only or for the afternoon only and the period of leave taken in this manner shall be treated as half day.";

(B) after the omitted clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) Saturdays, Sundays, restricted holiday and holidays, whether intervening, prefixed or suffixed, shall not be counted as Casual Leave.".

7. In the said Scheme, in paragraph 11,-

(A) after the second proviso, and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the provisions of this paragraph shall not apply to employees who joined the service of the Corporation or the Company, as the case may be, on or after the 1st day of January, 2004 and in respect of such employees, the provisions of paragraph 11A shall apply.";

(B) in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) for the period commencing from the 1st day of August, 2007, shall be computed with reference to the first rationalised terms.".

8. In the said Scheme, after paragraph 11, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"11A New Pension Scheme Fund:

Employees joining the service of the Corporation or the Company, as the case may be, on or after the 1st day of January, 2004, and accordingly covered under the New Pension Scheme, in terms of Note (2) of paragraph 3 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 shall contribute every month, to the Fund for the New Pension Scheme, at the rate of 10% of the Basic Salary plus Dearness Allowance, and equal contribution shall be made by the Corporation or the Company, as the case may be.

Explanation: For the purposes of this paragraph, the expression 'Basic Salary plus Dearness Allowance' shall be computed with reference to the Scales of Pay and Allowances applicable to the employee in terms of this Scheme, as amended from time to time.".

9. In the said Scheme, in Paragraph 18,-

(A) in sub-paragraph (1), with effect from the date of publication of this Scheme, -

(i) in clause (a), for the words "will be", the words "will ordinarily be" shall be substituted;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) in exceptional circumstances, where the requirement or the need of the Company or the Corporation, as the case may be, are not found to be met by restricting a particular transfer to a radius of 150 kms, the Chairman-cum-Managing Director, or an officer not below the rank of Scale VII authorised in this behalf by him, may transfer an employee beyond a radius of 150 kms, in which event the Disturbance Allowance payable as per clause (c) above to the employee so transferred shall stand revised to Rs. 600 per month.";

(B) in sub-paragraph (2), with effect from the date of publication of this Scheme, for the words "clause (c) of sub-paragraph (1)", the words "clause (c) or (d) of sub-paragraph (1)" shall be substituted.

10. In the said Scheme, after the Eighth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"NINTH SCHEDULE

[See Paragraph 3 (ca) and (cb)]

I. First rationalised Scales of Pay:

A. Supervisory and Clerical Staff .

(1) Senior Assistant
Rs. 10670-755(4)-13690-840(15)-26290

(2) Stenographer
Rs. 10670-755(4)-13690-840(15)-26290

(3) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent posts
Rs. 7640-440(1)-8080-480(2)-9040-540(5)-11740-625(2)-12990-760(3)-15270-790(2)-16850-840(5)-21050

(4) Record Clerk
Rs. 7085-305(2)-7695-325(5)-9320-350(1)-9670-390(2)-10450-430(3)-11740-480(5)-14140-530(9)-18910

B. Subordinate Staff.

(1) Driver
Rs. 7085-305(2)-7695-315(14)-12105-350(2)-12805-390(9)-16315

(2) Other Subordinate Staff
Rs. 6180-250(5)-7430-265(8)-9550-315(1)-9865-325(2)-10515-390(9)-14025

Fixation of basic salary and stagnation stages shall be as per the Tables given below:-

I A. Fixation of Basic Salary.

Table

(Figures in Rupees)

Senior Assistant/ Stenographer		Assistant		Record Clerk		Driver		Other Subordinate Staff	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
6885	10670	4995	7640	4665	7085	4665	7085	4105	6180
7370	11425	5280	8080	4855	7390	4855	7390	4270	6430
7855	12180	5590	8560	5045	7695	5045	7695	4435	6680
8340	12935	5900	9040	5255	8020	5250	8010	4600	6930
8825	13690	6250	9580	5465	8345	5455	8325	4765	7180
9365	14530	6600	10120	5675	8670	5600	8640	4930	7430
9905	15370	6950	10660	5885	8995	5865	8955	5105	7695
10445	16210	7300	11200	6095	9320	6070	9270	5280	7960
10985	17050	7650	11740	6320	9670	6275	9585	5455	8225
11525	17890	8055	12365	6570	10060	6480	9900	5630	8490
12065	18730	8460	12990	6820	10450	6685	10215	5805	8755
12605	19570	8950	13750	7100	10880	6890	10530	5980	9020
13145	20410	9440	14510	7380	11310	7095	10845	6155	9285
13685	21250	9930	15270	7660	11740	7300	11160	6330	9550
14225	22090	10440	16060	7970	12220	7505	11475	6535	9865
14765	22930	10950	16850	8280	12700	7710	11790	6745	10190
15305	23770	11490	17690	8590	13180	7915	12105	6955	10515
15845	24610	12030	18530	8900	13660	8135	12455	7165	10905
16385	25450	12570	19370	9210	14140	8355	12805	7415	11295
16925	26290	13110	20210	9555	14670	8605	13195	7665	11685
		13650	21050	9900	15200	8855	13585	7915*	12075
				10245	15730	9105	13975	8165*	12465
				10590*	16260	9355*	14365	8415*	12855
				10935*	16790	9605*	14755	8665*	13245
				11280*	17320	9855*	15145	8915*	13635
				11625*	17850	10105*	15535	9165*	14025
				11970*	18380	10355*	15925		
				12315*	18910	10605*	16315		

* : In the re-modified terms, these stages appeared as stagnation stages.

I B. Fixation of Basic Salary – Stagnation Stages.

[See Paragraph 7, sub paragraph (2)]

Table

(Figures in Rupees)

Senior Assistant / Stenographer		Assistant	
Existing Basic Salary	**Revised Basic Salary**	**Existing Basic Salary**	**Revised Basic Salary**
17465	27130	14190	21890
18005	27970	14730	22730
18545	28810	15270	23570
19085	29650	15810	24410
19625	30490	16350	25250
		16890	26090

Note:

(1) The basic salary of every employee in service as on the 1st day of August, 2007, and who continues to be in service after the date of publication of this Scheme, shall be fixed at the corresponding stage in the respective first rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2007 or the date of option, whichever is later.

(2) The basic salary of every employee appointed after the 1st day of August, 2007 and who continues to be in service after the date of publication of this Scheme, shall be fixed at the corresponding stage in the respective first rationalised scale of pay with effect from the date of his appointment or date of option, whichever is later.

(3) The basic salary of every employee who was in service on or after the 1st day of August, 2007 and who retired or died on or before the date of publication of this Scheme, shall be fixed at the corresponding stage in the respective first rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2007 or the date of his appointment, whichever is later:

Provided that in respect of the employees in the scale of Assistant who have already been granted as on the 31st day of July, 2007, one, two, three, four, five or six stagnation increments, in the re-modified scales of pay, their basic salary in the relevant first rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth or sixth stages above the maximum of the first rationalised scale :

Provided further that the seventh stagnation increment shall be granted to the employees in the scale of Assistant after the completion of two years from the date of receipt of sixth stagnation increment or, from 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later :

Provided also that in respect of the employees in the scale of Senior Assistant or Stenographer who have already been granted as on the 31st day of July, 2007, one, two, three, four or five stagnation increments, in the re-modified scale of pay, their basic salary in the relevant first rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth or fifth stages above the maximum of the first rationalised scale:

Provided also that the sixth stagnation increment shall be granted to the employees in the scale of Senior Assistant or Stenographer, as the case may be, after the completion of three years from the

date of receipt of fifth stagnation increment or, from 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, whichever is later.

II. FUNCTIONAL ALLOWANCES:

(1) From the 1st day of August, 2007, the employees performing the following functions shall be paid Functional Allowances as under:-

(i)	Subordinate Staff engaged in either as Key Holder or for carrying cash to or from Bank, as his regular and main function, where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more,	Rs. 375/- p.m.
(ii)	Other Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars, Daftaries, AC Plant Operators and Heavy Vehicle Drivers, who were assigned these functions before 1st day of January, 2006,	Rs. 165/- p.m.
(iii)	Assistant (or Senior Assistant, in the event of non-availability of Assistant) engaged in handling cash in an office, as his regular and main function, where the amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more,	Rs. 800/- p.m.
(iv)	Telex Operators, Punch Card Operators, Unit Record Machine Operators and Comptists, who were assigned these functions before 1st day of January, 2006	Rs. 60/- p.m.
(v)	Stenographer to Chairman-cum-Managing Director, Scale VII, Scale VI and equivalent positions.	Rs. 75/- p.m.

(2) From the 1st day of the month following publication of this Notification, the employees performing the functions of Audit Assistants shall be paid Functional Allowance @ Rs. 460/- p.m.

NOTE 1 : The number and names of persons eligible to draw the Functional Allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or by an officer authorised by him in this behalf, depending upon the load of work and administrative requirements.

NOTE 2 : An employee shall draw only one Functional Allowance at a time.

NOTE 3 : An employee proceeding on leave shall be paid the Functional Allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave, provided that he resumes work in the same position on the expiry of his leave.

NOTE 4 : No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the Functional Allowance attaching to that position or post.

NOTE 5 : No employee shall refuse to work in a position carrying a Functional Allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

NOTE 6 : Functional Allowance under any of the above clauses, or any part thereof, shall not be treated as part of basic salary and shall not be counted for the purpose of any allowance or for the purpose of any other service or terminal benefits.

III. DEARNESS ALLOWANCE:

(1) The rate of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under:-

Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

Base : Index No.2944 in the series 1960 = 100

Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 2944 points, employees shall be paid dearness allowance at the rate of 0.15 per cent of basic salary.

Revision of dearness allowance: Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 2944 points in the sequence 2944-2948-2952-2956 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation: For the purpose of this item, 'quarter' shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS:

(1) A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2007, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said table, namely, -

Table

Sr. No.	Examination	Allowance for Technical Qualification (per month)
(1)	(2)	(3)
1.	Insurance Institute of India Or Chartered Insurance Institute: On completion of: i) Licentiate ii) Associateship iii) Fellowship	 Rs.180/- Rs.490/- Rs.820/-
2.	Institute of Actuaries: On passing each subject	 Rs.180/-
3.	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of: i) Intermediate Examination ii) Final Group A or Group B iii) Final Group A and Group B	 Rs.350/- Rs.600/- Rs.820/-
4.	On completion of Master of Business Administration of a recognised University or Institution (AICTE approved course)	Rs.820/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned.

(3) Where the employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of allowance for technical qualification shall be suitably reduced or may not be admissible depending on the quantum of benefit already received.

(4) Such employee on completion of service of one year after reaching the maximum of the scale shall receive the allowance for technical qualification amounting to not less than one-half of the full rate and after a further service of one year, the said allowance for technical qualification shall be paid in full.

(5) The allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the table above, or any part thereof, shall not be counted for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

Explanation: For the purpose of entry mentioned at serial number 4, in column (2), "recognised University or Institution" shall mean a University or Institution recognized by the University Grants Commission.

V. GRADUATION INCREMENT OR ALLOWANCE:

(1) GRADUATION INCREMENTS OR ALLOWANCE TO ASSISTANT:

With effect from the 1st day of August, 2007, the Graduation Increments or Allowance to employees in the scale of Assistant shall be paid as under: -

(a) An employee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and who has qualified as a Graduate of a recognised University on or after the 1st day of January 1973 but before the 1st day of August 2007, and has not reached the maximum of the scale shall be granted two increments in the scale with effect from the publication of results of the examination, or 1st day of the month following the publication of this Scheme, or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later, provided that he has not already received graduation increment or qualification pay for having qualified as such graduate or any advance increment on appointment, otherwise than by way of protection of emoluments granted to ex-servicemen:

> Provided that if an employee entitled to increments for graduation is drawing **Basic Salary of Rs 20210/-,** only **one** increment for graduation shall be granted to him.

(b) an employee in the scale of Assistant who has qualified as a graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 and has reached the maximum of the scale shall be paid revised Graduation Allowance with effect from the 1st day of August, 2007, as per column (2) of the table below :-

Table

Stage	Revised Graduation Allowance per month with effect from 01-08-2007
(1)	(2)
One year after reaching the maximum of the scale	Rs.300/-
Two years after reaching the maximum of the scale	Rs.530/-

(c) The Graduation Allowance, or any part thereof, shall not be counted for the purpose of any Allowance or for any service or terminal benefit:

(2) GRADUATION ALLOWANCE TO RECORD CLERKS:

An employee in the scale of Record Clerk, who has qualified as Graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 shall be paid Graduation Allowance of Rs.200/- p.m. with effect from the date of publication of results of the examination or, from the date of promotion as Record Clerk or, the first day of August, 2007, whichever is later.

Note: The Graduation Allowance payable to employees in the scale of Record Clerk shall not be treated as Special Allowance nor shall it be treated or counted as basic Salary for any purpose and it shall be withdrawn on promotion of the employee.

Explanation: For the purpose of this item "recognised university" means a University recognised by the University Grants Commission.

VI. HOUSE RENT ALLOWANCE:

(1) With effect from the 1st day of August, 2007, House Rent Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as shown in the Table below:-

Table

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay, subject to minimum of Rs.700/- and maximum of Rs.3200/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned at serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	8% of pay, subject to minimum of Rs.600/- and maximum of Rs.2700/- per month
3.	All other places	7% of pay, subject to minimum of Rs.570/- and maximum of Rs.2300/- per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.
Note 2: Cities shall include their Urban Agglomerations.
Note 3: 'Pay' means basic salary and stagnation increments as per sub-paragraph 2 of paragraph 7
Note 4: Payment of House Rent Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under Paragraph 18 shall be subject to provisions of sub-paragraph (1), clause (c) of the said paragraph.

(2) Employees, who are allotted residential accommodation or staff quarters, shall not be entitled to any House Rent Allowance, but they shall pay to the Corporation or Company, for such accommodation, the appropriate License Fee as may be decided by the Board of the Corporation or Company from time to time. Provided that an employee who has been allotted residential accommodation or staff quarters before the 1st day of April, 1983, and who has been in receipt of House Rent Allowance as on date immediately preceding the date of publication of this Scheme in terms of item VI of the Fourth Schedule of the said Scheme shall continue to receive such House Rent Allowance so long as he continues to occupy the same residential accommodation or staff quarters allotted by the Corporation or Company.

VII. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August 2007, the City Compensatory Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:-

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1.	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	3% of pay subject to minimum of Rs.205/- per month and maximum of Rs.635/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned at serial number 1, Gandhinagar and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to minimum of Rs.170/- per month and maximum of Rs.595/- per month
3.	Cities with the population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, Panchkula	2% of pay subject to minimum of Rs.125/- per month and maximum of Rs.510/- per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be as per the latest Census Report.

Note 2: Cities shall include their Urban Agglomerations.

Note 3: 'Pay' means basic salary and stagnation increments as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.

Note 4: Payment of City Compensatory Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under Paragraph 18 shall be subject to provisions of sub-paragraph (1), clause (c) of the said paragraph.

VIII. HILL STATION ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, the Hill Station Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:-

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1.	Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level	2.5% of Basic Salary subject to maximum of Rs.370/- per month
2.	Posted at places situated at a height of 1000 metres and over, but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central or State Governments for their employees	2% of Basic Salary subject to maximum of Rs.290/- per month
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 metres and over above mean sea level	2% of Basic Salary subject to a maximum of Rs.290/- per month

Note: Basic Salary includes stagnation increments, if any, as per sub-paragraph (2) of paragraph 7

IX. KIT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme, employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII of this Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs.1000/-. The Kit Allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another if the same was drawn at any time during the preceding three years.

X. FIXED PERSONAL ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August, 2007, the Fixed Personal Allowance payable to employees on account of computerisation shall stand revised as shown in column (3) of the Table given below:-

Table

Sl. No.	Employees in the Scale of Pay (as on 1.11.1993) of	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)	Increment portion of Fixed Personal Allowance as per the Altered Terms (Sixth Schedule)	Dearness Allowance on Increment portion of Fixed Personal Allowance as per the Altered Terms as on 01-11-1993
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Senior Assistant	840	230	18.68
2.	Stenographer	840	230	18.68
3.	Assistant, etc.	840	230	18.68
4.	Record Clerk	530	130	12.74
5.	Driver	390	100	9.80
6.	Other Subordinate Staff	390	100	9.80

Note: The revised Fixed Personal Allowance (FPA) as shown in column (3) of the table above shall not qualify for any Allowance or for any service or terminal benefits. However, the increment portion of FPA as per the Altered Terms as shown in column (4) of the table above shall rank for Provident Fund and Pension, and the said increment portion along with Dearness Allowance thereon as on the 1st day of November, 1993, as shown in column (5) of the table above shall rank for Gratuity and Encashment of Earned Leave.

XI. TRANSPORT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August, 2007, the Transport Allowance payable to employees at the rate of Rupees One Hundred and Fifty per month as per Item XI of the Eighth Schedule shall stand revised to Rupees Two Hundred and Seventy-five per month.

XII. PARADEEP PORT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this Scheme or date of appointment, whichever is later, every confirmed employee posted in the office of the Company

in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rupees One Hundred and Ten per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as basic salary for any purpose.".

[F. No. S-11012/07/2010-Ins I(iii)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Pension)]

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the Scales of Pay and conditions of service of employees in the Corporation and Companies with effect from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is amended accordingly with effect from the dates as specified in the notification.

2. Further, consequent upon the amendment in the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 in respect of employees joining on or after the 1st day of January, 2004, the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is amended accordingly with effect from the 1st day of January, 2004.

3. It is certified that no employee of the Corporation or Company is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE :- The Principal Scheme was published vide Notification No.S.O.326(E) dated 27th May, 1974 and subsequently amended vide notifications No. S.O. 472(E) dated 5th September 1975, S.O. 5415 dated 22nd December 1975, S.O 390(E) dated 1st June 1976, S.O 4466 dated 11th November 1976, S.O 2443 dated 30th July 1977, S.O 1046 dated 29th March 1978, S.O 1049 dated 29th March 1978, S.O 1410 dated 26th April 1978, S.O 3429 dated 16th November 1978, S.O 314(E) dated 12th May 1980, S.O 729 (E) dated 21st September 1984, S.O 769(E) dated 15th October 1985, S.O 884(E) dated 9th December 1985, S.O 729(E) dated 3rd October 1986, S.O 441(E) dated 27th April 1987, S.O 1038 (E) dated 7th December 1987, S.O 780(E) dated 22nd August 1988, S.O 783(E) dated 22nd August 1988, S.O 1160(E) dated 9th December 1988, S.O 180(E) dated 10th March 1989, S.O 356(E) dated 12th May 1989, S.O 405(E) dated 24th May 1990, S.O 542(E) dated 6th July 1990, S.O 593(E) dated 27th July1990, S.O 754 dated 4th October 1990, S.O 797(E) dated 25th November 1991, S.O 909(E) dated 23rd December 1991, S.O 83 dated 2nd February 1994, S.O 594(E) dated 30th June 1995, S.O 139 (E) dated 22nd February 1996, S.O 759(E) dated 1st November 1996, S.O 465 (E) dated 27th May, 1998, S.O 731(E) dated 27th August, 1998, S.O 694(E) dated 30th August, 1999, S.O 589(E) dated 22nd June, 2000, S.O 782 (E) dated 30th August, 2000, S.O.225(E) dated 15th March, 2001, S.O 633(E) dated 4th May, 2005 and S.O. 1793(E) dated 21st December, 2005.

***

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2473(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन स्कीम, 2010 है ।

(2) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त स्कीम" कहा गया है)के पैरा 2 के खंड (1) में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड (iv) और (v) अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iv) विधवा या विवाह विच्छिन्न या अविवाहित पुत्री, यथास्थिति, उसके विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जिसको उसकी आय ऐसे आश्रित मानदंड से अधिक हो जाती है, जो इस संबंध में समय समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(v) ऐसे माता-पिता, जो ऐसे आश्रित मानदंड के अनुसार, जो इस संबंध में समय समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर्मचारी पर पूर्णतया तब आश्रित थे, जब वह जीवित था या थी परंतु मृत कर्मचारी न तो विधवा को और न ही किसी बालक को पीछे छोड़ गया था या अपने पीछे केवल विधवा को, जिसने बाद में विवाह कर लिया था, छोड़ गया था ;

परंतु यह कि किसी विशिष्ट समय बिंदु पर कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता का अवधारण उस क्रम में किया जाएगा जिसमें उसका उल्लेख इस खंड में किया गया है ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 3 में,

(अ) उपपैरा (4) में, " अधिसूचित तारीख के पश्चात ; या", शब्दों के स्थान पर, "अधिसूचित तारीख के पश्चात परंतु 1 जनवरी 2004 से पहले ; या" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(आ) टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" टिप्पण : (2) ,1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् यथास्थिति, निगम या कंपनी की सेवा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारी और तदनुसार, जो उप पैरा (4) के निबंधनानुसार इस स्कीम के लागू होने से अपवर्जित किए गए हैं, ई सी बी और पी आर प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना फा. सं. 5/7/2003 - ई सी बी और पी आर तारीख 22 दिसंबर, 2003 द्वारा केन्द्रीय सरकार में नए भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपदर्शित परिभाषित अभिदाय पेंशन स्कीम के आधार पर, यथास्थिति, निगम या कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे "

4. उक्त स्कीम के पैरा 39 के उप पैरा (1) में, –

(अ) खंड (ग) में, " पुत्री" शब्द के पश्चात्, " पैरा 2 के खंड (1) के उपखंड (iii) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता अर्जित करने के पश्चात् कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रही है" शब्द और अंक इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अंतः स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) में, परंतुक से पहले इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (गक) ऐसी विधवा या विवाह विच्छिन्न या अविवाहित पुत्री के मामले में, यथास्थिति, उसके विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जिसको उसकी आय ऐसे आश्रित मानदंड से अधिक हो जाती है, जो इस संबंध में समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो भी पहले हो, पैरा 2 के खंड (1) के उपखंड (iv) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता अर्जित करने के पश्चात् कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रही है"

(इ)खंड (च) के पश्चात्, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) माता पिता की दशा में, उस तारीख तक जिसको उनकी आय उस आश्रित मानदंड से अधिक हो जाती है जो इस संबंध में समय समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए" ।

[फा. सं. एस-11012/07/2010-बीमा I(iv)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (इंश्योरेंस और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

निगम और कंपनियों के अपने-2 निदेशक बोर्डों द्वारा साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के कार्यक्षेत्र से 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नए भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को अपवर्जित करने और उन्हें परिभाषित अभिदाय पर आधारित नई पेंशन स्कीम के अंतगर्त लाने का विनिश्चय किए जाने के परिणाम स्वरूप, तदनुसार, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में 1 जनवरी, 2004 से संशोधन किया जाता है ।

2. इसके अतिरिक्त, निगम और कंपनियों द्वारा कुटुम्ब पेंशन के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब की परिभाषा में विधवा या विवाह विच्छिन्न पुत्रियों और आश्रित माता-पिता को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किए जाने के परिणाम स्वरूप, तदनुसार, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में इस अधिसूचना के प्रकाशन को तारीख से संशोधित किया जाता है ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम या कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण :- मूल स्कीम अधिसूचना सं0 का.आ. 585(अ) तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं0 का.आ. 475(अ) तारीख 3 जुलाई, 1996, का.आ. 342(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1997, का.आ. 461(अ) तारीख 18 जून, 1999, का.आ. 1221(अ) तारीख 6 दिसम्बर, 1999, का.आ 590(अ) तारीख 22 जून, 2000, का.आ. 775(अ) तारीख 14 अगस्त, 2001, का.आ. 1086(अ) तारीख 2 नवम्बर, 2001, का.आ. 778 (अ) तारीख 5 जुलाई, 2004, का.आ. 636(अ) तारीख 4 मई, 2005, और का.आ. 1794(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2006, द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2473(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension Amendment Scheme, 2010.

(2) Save as otherwise provided in this Scheme, the provisions of this Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2004.

2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as "the said Scheme"), in paragraph 2, in clause (l), with effect from the date of publication of this Notification, after sub-clause (iii),the following sub-clauses (iv) and (v) shall be inserted, namely:-

"(iv) Widowed or divorced or unmarried daughter, till the date of her marriage or re-marriage, as the case may be, or the date on which her income exceeds the dependency criteria as may be specified by the Corporation or a Company from time to time, in this regard;

(v) Parents who were wholly dependent on the employee, as per the dependency criteria as may be specified by the Corporation or a Company from time to time in this regard, when he or she was alive provided the deceased employee had left neither a widow nor a child, or had left behind only a widow who subsequently got remarried:

Provided that the eligibility of a member of the family to family pension at any particular point of time shall be determined in the order in which his or her mention is made in this clause.".

3. In the said Scheme, in paragraph 3,-

(A) in sub-paragraph (4), for the words "after the notified date; or", the words, figures and letters "after the notified date but before the 1st day of January, 2004; or" shall be substituted;

(B) after Note (1), the following Note shall be inserted, namely:-

" Note: (2) Employees joining the service of the Corporation or a Company, as the case may be, on or after the 1st day of January, 2004, and accordingly excluded from the applicability of this Scheme in terms of sub-paragraph (4), shall be covered under a New Pension Scheme to be framed by the Corporation or a Company, as the case may be, on the lines of a defined contribution pension system indicated for the new recruits in the Central Government Service vide Notification F.No. 5/7/2003 – ECB & PR dated the 22nd December, 2003 of ECB & PR Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.".

4. In the said Scheme, in paragraph 39, in sub-paragraph (1),-

(A) in clause (c), after the word "daughter", the words and figures "drawing family pension after acquiring eligibility for the same under sub-clause (iii) of clause (l) of paragraph 2" shall be inserted with effect from the date of publication of this Notification;

(B) in clause (c), before the proviso, with effect from the date of publication of this Notification, the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) in the case of widowed or divorced or unmarried daughter, drawing family pension after acquiring eligibility for the same under sub-clause (iv) of clause (l) of paragraph 2, till the date of her marriage or re-marriage, as the case may be, or the date on which her income exceeds the dependency criteria as may be specified by the Corporation or a Company from time to time in this regard, whichever is earlier:";

(C) after clause (f), with effect from the date of publication of this Notification, the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) in the case of parents, till the date on which their income exceeds the dependency criteria as may be specified by the Corporation or a Company from time to time in this regard.".

[F. No. S-11012/07/2010-Ins. I(iv)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Pension)

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Consequent upon the respective Boards of Directors of the Corporation and the Companies having decided to exclude the new recruits on or after the 1st day of January, 2004 from the purview of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, and cover them under the New Pension Scheme based on defined contribution, the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 is amended accordingly with effect from the 1st day of January, 2004.

2. Further, consequent upon the Corporation and the Companies having proposed to include widowed or divorced daughters and dependent parents in the definition of Family for the purpose of Family Pension, the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 is amended accordingly with effect from the date of publication of this Notification.

3. It is certified that no employee of the Corporation or Company is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE: - The Principal Scheme was published vide notification No.S.O.585 (E) dated the 28th June, 1995 and subsequently amended by notification No. S.O.475 (E) dated the 3rd July, 1996, S.O.342 (E) dated the 22nd April, 1997, S.O.461 (E) dated the 18th June, 1999, S.O.1221 (E) dated the 6th December, 1999, S.O. 590(E) dated the 22nd June, 2000, S.O.775 (E) dated 14th August, 2001, S.O.1086 (E) dated the 2nd November, 2001, S.O. 778 (E) dated the 5th July, 2004, S.O.636 (E) dated the 4th May, 2005 and S.O.1794(E) dated the 19th October, 2006.

***

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.